

संपादकीय

कोविशील्ड- लकीर पीटने से लाभ क्या

कोरोना काल में भारत में करोड़ों लोगों को लगाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों को लेकर इसकी निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में जो स्वीकारोक्ति दी है, उससे भारत में भी करोड़ों लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि यह सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा ही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वैक्सीन से खून का थक्का जमने वाली बीमारी होने की संभावना है, लेकिन बहुत थोड़ा। कोरोना के आप्टर इफेक्ट्स के चलते बाद में कई लोगों की मौतें हुई हैं। कोविशील्ड को लेकर सवाल तो तब भी उठ रहे थे, जब लोग जान बचाने के लिए कोई भी दवा लेने पर विवश थे। लेकिन तब लोगों को यह कहकर आश्वासन दिया गया था कि डरने की कोई बात नहीं है। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। इसके अलावा भारत बायोटेक ने कोविक्सीन नामक देशी विकसित की थी। लेकिन उस वक्त जितने बड़े पैमाने पर इन वैक्सीनों की जरूरत थी, उसे देखते हुए कोविशील्ड को भी सरकार ने बड़े पैमाने पर खरीदा और लोगों को लगाया। डॉक्टरों का कहना है कि कोविशील्ड के कारण किसी की मौत हुई हो, इसका कोई पुष्टिकारक प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट से इकार नहीं किया जा सकता। कोविशील्ड निर्माता एस्ट्राजेनेका ने भी ब्रिटेन की अदालत में माना कि कोविशील्ड सौ फ्रीसदी सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ के अनुसार, कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में दिए अपने एक बयान में स्वीकार किया है कि बहुत रैयर मामलों में वैक्सीन से ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। गौरतलब है कि कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित की है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। एस्ट्राजेनेका के अनुसार विरल मामलों में कुछ लोगों में थोके के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिससे श्रोम्बोसिस विद श्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) होने का जोखिम बढ़ जाता है। इस बीमारी में मरीज में खून के थक्के बन जाते हैं। उसे काइडिंग अरेस्ट हो सकता है। श्रोम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब किसी व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में मदद करते हैं। टीटीएस के लक्षणों में गंभीर सिरदर्द, धुंधली दृष्टि, बोलने में कठिनाई, सोने में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और पैर में सूजन आदि शामिल हैं। कंपनी के इस खुलासे के बाद कई लोगों के मन में डर पैठ गया है। लेकिन डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि कोविशील्ड का इफेक्ट को भी छ माह तक ही रहता है। वैक्सीन लगाने के दो साल बाद इसका कोई असर नहीं रहता। इस वैक्सीन के आप्टर इफेक्ट्स पर किए शोध में भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिसमें टीटीएस के लक्षण दिखे हों। कोविशील्ड के प्रभावों के बारे में वैज्ञानिक तथ्य जो भी हों, लेकिन कंपनी के खुलासे के बाद इस वैक्सीन पर से लोगों का विश्वास कम हो गया है, इससे इकार नहीं किया जा सकता। सवाल तो अब यह भी उठ रहा है कि क्या कोविशील्ड की तुलना में भारत में आविष्कृत कोविक्सीन ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। हकीकत में कोई भी ऐलोपैथिक दवा आप्टर इफेक्ट्स से मुक्त नहीं होती। लेकिन दवा पर पूरी तरह अविश्वास भी ठीक नहीं है।

ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन का द्वंद : भारत में ट्विटर एक्टविज्म का एक दशक

डॉ. मुकेश कुमार

अर्चना आर. सिंह की किताब 'बिचॉन्ड द हैशटैग -ए डिक्डेड ऑफ ट्विटर एक्टविज्म इन इंडिया' नागरिक समाज द्वारा ट्विटर (एक्स) के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और सत्ता की यथास्थितिवाद के प्रतिरोध पर एक प्रमाणिक और शोधपरक रचना है। यह किताब डिजिटल विमर्श के इस परिदृश्य में ऑनलाइन सक्रियता और ऑफलाइन गतिशीलता के बीच बढ़ते अंतरसंबंध को दर्शाती है। इसमें 2012 की दिल्ली बलात्कार कांड (निर्भया) और 2021-2022 के किसान आंदोलन के संदर्भों और घटनाओं के आधार सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर की विमर्शनात्मक विवेचना की गई है। इसमें अर्चना आर. सिंह ने यह स्थापित किया है कि वचुअल प्लेटफॉर्म ट्विटर लोगों को अपनी आवाज उठाने, न्याय दिलाने और सामाजिक परिवर्तन की मांग में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए संगठित करने हेतु उत्प्रेरक बन गया है।

ट्विटर के विकासक्रम और अध्ययन के लिहाज से यह किताब इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण हो जाती है, यह अपने पाठकों को बताती है कि ट्विटर सूचनाओं के आदान-प्रदान और विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। सोशल मीडिया का माध्यम ट्विटर अब वास्तविक दुनिया में नागरिक समाज की कार्रवाई को वैश्विक पटल पर प्रसारित-प्रकाशित-प्रचारित करने का उपकरण बन गया है। इसका उपयोग उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया गया जिनकी आवाजें सत्ता की गलियारों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ट्विटर ने आभासी (वचुअल) सक्रियता और वास्तविक (रियल) दुनिया की गतिविधियों के बीच सीधा संबंध बनाया।


'बिचॉन्ड द हैशटैग'- कुल आठ अध्यायों के बांटकर लिखी गई इस किताब में यह रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि सोशल मीडिया ऑनलाइन और ऑफलाइन समुदायों के बीच सक्रियता की सुविधा प्रदान कर रहा है। आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच अपरिवर्तित संबंध को ने सार्वजनिक चर्चा हेतु आकार देने, जनता की राय को प्रभावित करने और सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विटर की परिवर्तनकारी क्षमता को रेखांकित किया गया है। किताब यह बताने का प्रयास करती है कि ट्विटर ने निर्भया कांड (2012) और किसान आंदोलन (2020-2021) में व्यक्ति का रूपांतरण नागरिक समाज में किया। जिन्होंने महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया हेतु ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदायों के बीच संचार को स्थापित किया। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से यह पड़ताल की गई कि ट्विटर ने सूचनाओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करके एक नया वचुअल स्पेस निर्मित की है।

इस किताब में एक दशक (2012-2021) के बीच की दो महत्वपूर्ण आन्दोलनों के माध्यम से ट्विटर की उपयोगिता और उसकी भूमिका का विशद विवेचना की गई है। ट्विटर ने सामान्य व्यक्ति को पत्रकार में बदल

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

पुस्तक समीक्षा

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित



करती है। ट्विटर का प्रयोग एक समाचार नेटवर्क की तरह किया जा सकता है के तौर पर यह किताब रेखांकित करती है। पिछले एक दशक में ट्विटर की सहायता से नागरिक समाज ने एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका उपयोग राजनीतिक जागरूकता से लेकर सामाजिक न्याय तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोगों को संगठित करने हेतु किया गया है। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के लिए ट्विटर के प्रयोग का मुख्य लाभ सूचना को तेजी से और व्यापक रूप से फैलाने की क्षमता से है। प्रतिरोध के दौरान समय और स्थान के साथ-साथ सभी सूचनाओं का संचालन इसके द्वारा वास्तविक समय (रियल टाइम) द्वारा किया जा सकता है। ट्विटर ने असहमति की आवाजों को खर देने का काम किया है। ट्विटर ने एक वैचारिक मंच प्रदान करके निर्भया कांड और किसान आंदोलन के मुद्दे पर अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया हेतु ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदायों के बीच संचार को स्थापित किया। इन दोनों घटनाओं के माध्यम से यह पड़ताल की गई कि ट्विटर ने सूचनाओं को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करके एक नया वचुअल स्पेस निर्मित की है।

इस किताब में एक दशक (2012-2021) के बीच की दो महत्वपूर्ण आन्दोलनों के माध्यम से ट्विटर की उपयोगिता और उसकी भूमिका का विशद विवेचना की गई है। ट्विटर ने सामान्य व्यक्ति को पत्रकार में बदल

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

दिया। ट्विटर ने आन्दोलनों के माध्यम से संचार का एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपने को विकसित कर लिया। इसने सामाजिक गतिविधि की गतिशीलता को बदल दिया। ट्विटर क्रांति ने एक वैकल्पिक प्रेस या मीडिया के रूप में उभरने के साथ-साथ एक सामान्य व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने और फैलाने हेतु उपकरण के रूप में काम किया। ट्विटर ने जन मीडिया का लोकतंत्रीकरण करके न्यू मीडिया द्वारा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वचुअल स्पेस और रियल स्पेस के बीच सहसंबंध निर्मित

इस तीखे, मसालेदार लोकसभा चुनाव प्रचार के मौसम में हमारे नेतागण अपशब्दों और अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों का बदबूदार मनोरंजन हो रहा है और इस चुनाव प्रचार के दौरान पैसों की खनक सुनाई दे रही है। लोग इन बातों पर सीटी बजा रहे हैं और जिसके चलते राजनीतिक विरोधियों और कट्टर दुश्मनों के बीच की पवित्र धुंधली हो गई है और यह इसलिए किया जा रहा है कि हमारे नेतागणों को आशा है कि इससे उन्हें राजनीतिक तृप्ति मिलेगी। वर्तमान में जारी अपशब्दपूर्ण निंदाजनक और अशुभ चुनाव प्रचार को इससे बेहतर कुछ वर्णित नहीं कर सकता कि इसमें सामान्य शिष्टाचार और गरिमा को ताक पर रख दिया गया है तथा स्वस्थ प्रतिद्वंद्वियों के बीच भाईचारा, सहिष्णुता और आदर समाप्त हो गया है।

पूनम आई. कौशिश

यह इस बात को रेखांकित करता है कि अपशब्द, अशुभता, कीचड़ उखलाना आदि नई राजनीतिक भाषा बन गई है और इसमें जो जितना बेहतर वह उतना सफल दिखाई दे रहा है। आज हर कोई और हर बात खेल बन गया है-देशभक्ति से देशद्रोही। कांग्रेस अपने जनाधार के बारे में भ्रमित है। उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और वह भाजपा को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए हताश है और इसलिए उसने गाली और अपशब्दों का प्रयोग करने तथा जातिवाद को बढ़ावा देने के अपने विचरपरिचित फार्मूले को अपनाया। भगवा संघ के लिए अपने पोस्टर ब्रवीय प्रधानमंत्री मोदी के दस साल के शासन को आगे जारी रखना सुनिश्चित करने हेतु यह करो या मरो की लड़ाई है। कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष यह शिकायत दर्ज करने पर खूब शोर-शराबा हो रहा है कि मोदी यह कहते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की सम्पत्ति तथा महिलाओं के मंगलसूत्र को घुसपैठियों अर्थात् मुसलमानों को बांटना चाहती है और हमारे चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कर रहे हैं। यह न तो सचिधान में लिखा है और न ही हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कहीं लिखा है। कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाया कि उसने विरासत कर के बारे में एक नेता की टिप्पणी को विकृत किया है। मोदी ने इसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लोगों को लूटने के लिए विषय का मंत्र बताया है।

यह भी कहा गया कि मोदी बहुत झूठ बोलते हैं। मोदी कहते हैं कि मोदी की 56 इंच की छाती है। हम 56 इंच की छाती का क्या करेंगे। वे बताए कि उन्होंने पेट के लिए क्या किया है, आप हमें भोजन के लिए क्या दे रहे हैं। आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिससे लोग डूबे-चूबे हैं। भाजपा ने इसके प्रत्युत्तर में शहजादे राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि वह भाषा और क्षेत्र के आधार पर निरंतर उत्तर और दक्षिण को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों के तुट्टीकरण हेतु धार्मिक आधार पर आश्रय देने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओ.बी.सी. के आश्रय का एक हिस्सा पहले ही मुसलमानों को दे दिया है। भाजपा ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह मूर्खों और झूठों का सरदार है जो स्वयं को एक एक्ससीडेंटल हिन्दू कहते हैं। उसे भारत के इतिहास और भूगोल का समुचित ज्ञान नहीं है। साथ ही वह यह झूठ फैला रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ी है और पार्टी ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह राहुल के विरुद्ध कार्रवाई करे। इस पर राहुल ने कहा कि पी.एम. का मतलब पनीती मोदी और जेबकतर। तृणमूल कांग्रेस की ममत मोदी को पापी कहती है तो राकपाय के शरद पवार ने उन्हें निर्लज्ज कहा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी के लिए वोट देने का मतलब है विनाश के लिए वोट देना। बसपा ने भाजपानीत राजग को अतंकवादी सरकार कहा है तो एक माकपाय नेता ने कहा कि क्या राहुल नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुआ था। मुझे इस

बारे में संदेह है। उसके डी.एन.ए. की जांच की जानी चाहिए। तो ए.आई.एम.एम. के ओवैसी कहते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोक सके। निःसंदेह दोषी पूर्ण रूप से पाटियां हैं और निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और जानी दुश्मनों के शस्त्रों में सबसे शक्तिशाली मिसाइल बन गई है। कोई भी आदर्श आचार संहिता में सामान्य आचरण, बेटकों, रैलियों, मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर्यवेक्षकों और सतारूह पार्टी के बारे में दिए गए निर्देशों की परवाह नहीं कर रहा है। हर कोई तुरंत शिकायत कर देता है और अपने प्रतिद्वंद्वियों से अनुशासित रहने की मांग करता है किन्तु स्वयं ऐसा व्यवहार नहीं करता है। प्रत्येक पार्टी ने घृणा फैलाने, जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर विभाजन करने के आरोप लगाए हैं। निःसहाय निर्वाचन आयोग केवल अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 76 का स्मरण कराता है और पार्टी के अध्यक्ष को इसके लिए दोषी ठहराता है और पहले कदम के रूप में उन्हें स्टार प्रचारकों से दूर रखता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों और विशेषकर स्टार प्रचारकों के आचरण के बारे में पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उच्च पदों पर आसिन लोगों द्वारा प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। चुनाव प्रचार पर दो-तीन दिन का प्रतिबंध लगाने के अलावा हेट स्पीच के बारे में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई केवल

फटकार लगाना होता है। श्रोताओं के समक्ष जितनी अशुभ भाषा का प्रयोग किया जाए, उतना बेहतर और हमारा दिल मांगे मोर की मांग होती है क्योंकि हमारे राजनेताओं के पाखंड सफल नहीं हो सकते हैं और नैतिकता का उपदेश देने वाला इस्फा संघ्य अनुकरण करने लगे। चुनाव का मतलब कि अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध बहद हसिल करना है। निर्वाचन आयोग और आदर्श आचार संहिता करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए जो हमारे लोकतंत्र के लिए अवांछित और अस्वस्थकर हैं और साथ ही इस बात पर भी बल देना चाहिए कि चुनाव सुधारों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाए ताकि हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में प्रतिनिधिक बन सके। निर्लज्ज और स्वार्थी नेताओं को वोट देना बंद करना चाहिए जो अनैतिकता पर अधिक विश्वास करते हैं। हमारे नेताओं को विभाजनकारी और व्यक्तिगत हस्तियों से बचना होगा तथा जनता और राष्ट्र को प्रभावित मुद्दों पर एक-दूसरे से बहस करनी होगी न कि व्यक्तिगत तौर कि चुनाव प्रचार गरिमापूर्ण बहस की पटरी पर पुनः वापस आ सके तथा आक्रामक और अशुभ भाषा के प्रयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सर्वजनिक बहस का स्तर बढ़ाया जाए क्योंकि यदि आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो आपको कर अर उंगलियां उठती हैं। फिर हम तक इसका खमियाजा भुगतते रहेंगे। क्या कोई राष्ट्र शर्म और नैतिकता के बिना रह सकता है?

सामना करना पड़ता है और जब तक निर्वाचन आयोग इस संबंध में कोई कदम उठाता है तब तक मतदान हो चुका होता है। फिर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में क्या होना है। कुछ नहीं वे स्वतः ही भुला दिए जाते हैं। इस बुरे दौर में राजनीति में नैतिकता के मानदंडों में गिरावट के बारे में बात करना बेवकूफी होगी। जब भारत में मतदान हो रहा हो हमें नेताओं को अपने साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग करनी चाहिए जो हमारे लोकतंत्र के लिए अवांछित और अस्वस्थकर हैं और साथ ही इस बात पर भी बल देना चाहिए कि चुनाव सुधारों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जाए ताकि हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में प्रतिनिधिक बन सके। निर्लज्ज और स्वार्थी नेताओं को वोट देना बंद करना चाहिए जो अनैतिकता पर अधिक विश्वास करते हैं। हमारे नेताओं को विभाजनकारी और व्यक्तिगत हस्तियों से बचना होगा तथा जनता और राष्ट्र को प्रभावित मुद्दों पर एक-दूसरे से बहस करनी होगी न कि व्यक्तिगत तौर कि चुनाव प्रचार गरिमापूर्ण बहस की पटरी पर पुनः वापस आ सके तथा आक्रामक और अशुभ भाषा के प्रयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सर्वजनिक बहस का स्तर बढ़ाया जाए क्योंकि यदि आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो आपको कर अर उंगलियां उठती हैं। फिर हम तक इसका खमियाजा भुगतते रहेंगे। क्या कोई राष्ट्र शर्म और नैतिकता के बिना रह सकता है?

आज का कर्तन



मेघ
अपने सिद्धान्त को लेकर जड़ व्यवहार रखने से हानि हो सकती है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदने में धन खर्च कर सकते हैं।

मिथुन
व्यापार में आप बड़ा धन निवेश कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ आपको काम करने में आसानी में होगी। ससुराल पक्ष से धन लाभ प्राप्त होगा।

सिंह
महत्वपूर्ण कार्यों में रोक लगने की आशंका है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। घर में अशांति का माहौल हो सकता है।

तुला
तुला (अप्रैल 28) कार्यक्षेत्र में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। महत्वपूर्ण काम आसानी से बनते जायेंगे।

धनु
तीर्थयात्रा की योजना बनायेंगे। अपनों से बड़ों का सम्मान करें। आप आज नया ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे। बाहरी विवादों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है।

कुंभ
परिवार के लोगों को आज आप उपहार दे सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों को बड़ा राजनीतिक पद मिल सकता है। बच्चों के साथ आज बहुत अच्छा समय बितायेंगे।

वृषभ
व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने ग्राहकों के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिये। शरीर में थोड़ी थकवट रहेगी। हर कार्य में जल्दबाजी और लापरवाही से बचना चाहिये।

कर्क
किसी बड़े समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। समय रहते आप अपना काम पूर्ण करने का प्रयास करें। पिता के मार्गदर्शन से व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी।

कन्या
कारोबार में सावधानी पूर्वक निवेश करें। कड़वें वचन बोलने से बचें। स्वभाव में लचीलापन बनाये रखें। एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक
आक्रामक भाषा शैली के कारण आपके सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं। किसी पर भी बहुत भरोसा न करें। रिश्तेदारों के बीच आपकी छवि बिगड़ू होगी।

मकर
नया रोजगार शुरू करने के लिये दिन सही नहीं है। रचनों की अन्देखी के कारण आपको बुरा लगेगा। आपके मान-सम्मान में कमी आ सकती है। भाग्य आज आपको साथ नहीं दे रहा है।

मीन
नये प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिये अच्छा दिन है। प्रेम सम्बन्धों को लेकर विवाह में परिणित कर सकते हैं। बच्चों के जिद्दी व्यवहार से थोड़े परेशान रहेंगे।

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का स्वागतयोग्य फैसला



ललित गर्ग

हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियाँ एवं विकृतियाँ जुड़ गयी हैं, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मेरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिहार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बड़े मत्स्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशील का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें टपटपे पड़ते हुए देखी गयी है।

देश को सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह मान्य नहीं होगा। हिन्दू विवाह पर कोर्ट का ताजा फैसला न केवल स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक-संस्था को मजबूती मिलेगी। हिन्दू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी हटाने और डांस, हस्तशिव पीने और खाने का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर देहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कर्मशिल्प ट्रांजिक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज-व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई एवं मजबूत सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयाम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात् शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिन्दू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधिनियम के अनुसार, एक हिन्दू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया है कि हिन्दू विवाह की वैधता के लिए



सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरें) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी हैं। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों और उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंधलाते मूल्यों को निर्धारित करने का काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतांश के लिए एक दिखावा, मजबूती या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति वी नागराज ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिन्दू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिन्दू विवाह नहीं माना जाएगा। इस वजह से कोर्ट ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया है कि वो विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें। प्रश्न है कि हिन्दू विवाह को लेकर कोर्ट को जागरूक होने एवं हिन्दू संस्कारों को मजबूती देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू विवाह से जुड़े संस्कारों एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर अनेक मामलों कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-

संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिन्दू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व के दस्तावेज गवा था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिन्दू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिन्दू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषतः हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिन्दू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। हिन्दू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिन्दू धर्म में विवाह को सौलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि + वा, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिन्दू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा

भी जा सकता है परंतु हिन्दू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरें लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिन्दू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक सम्बंध से अधिक आत्मिक सम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि उसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिन्दू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य ह्यकामह्य के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे ह्यमोक्षह्य की ओर बढ़ना है। एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं; उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला के बीच चार, उनका रिश्ता, संतान, उनके माता-पिता, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिन्दू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम-सिन्दूर के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और छह या नौ-याई साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। हिन्दू विवाह के सात वचनों में से, कम से कम तीन ऐसे हैं, जहाँ जोड़े अपने बुजुर्गों की देखभाल करने का वादा करते हैं। पांचवां वचन अपनी संतान पैदा करने और उसकी देखभाल करने का है। हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियाँ एवं विकृतियाँ जुड़ गयी हैं, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मेरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिहार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बड़े मत्स्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशील का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ते हुए देखी गयी है। (लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

संपादकीय

आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में पहली कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर भाजपा से जवाब मांगा है। कांग्रेस और वामदलों ने नरेन्द्र मोदी के भाषण को विभाजनकारी और महाहानिकर बताते हुए आयोग से शिकायत की थी। इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरुद्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है। उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं बखशा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इतिहास दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा-मर्यादा और नियम-कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा-सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या-क्या न कहा गया। माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष-रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया। विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरेगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने-देखे गए हैं, बल्कि तू-टूझाकर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।

चिंतन-मनन


संत की उदारता

संत बेनजोई के पास कई बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वह अपने सभी शिष्यों की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही उन्हें वहाँ से जाने की अनुमति देते थे। वह उईड व शरारती शिष्यों को भी आज्ञाकारी और संस्कारी बनाकर ही दम लेते थे। एक बार उनके आश्रम में बहुत ही शरारती और बदतमीज लड़का आया। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। बेनजोई ने उसे चोरी की बुराई से अवगत कराया और क्षमा कर दिया, लेकिन वह लड़का इतना बिगड़ल था कि उस पर बेनजोई की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने दोबारा चोरी की और एक शिष्य को बेवजह पीट दिया। यह शिकायत बेनजोई तक पहुँची तो उन्होंने उसे फिर बुलाकर प्रेम से समझाया और एक बार फिर क्षमा कर दिया। यह देखकर आश्रम के अन्य शिष्य आगबबूला हो गए। शाम की प्रार्थना के समय सभी शिष्य एकजुट होकर बोले, गुरुजी, यह बार-बार चोरी करता रहेगा, हमें पीटा रहेगा और आप उसे क्षमा करते रहेंगे। यह कैसा न्याय है? यदि आप इसे आश्रम से नहीं निकाल सकते तो हम सभी यह आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। इस पर बेनजोई विनम्रता से बोले, मैंने माना कि तुम सब अच्छे हो, संस्कारी हो। कभी किसी कुसंग में न रहने के कारण दुकर्मों से दूर हो। यह अबोध किशोर अपने दुर्बल्यनि पिता और भाइयों द्वारा ठुकराया हुआ है। इसे मैं सुधारने, संस्कारित करने के उद्देश्य से यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि तुम यदि इस आश्रम से चले गए तो अन्य किसी शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, किंतु इस बिगड़ल लड़के को कौन अपने यहाँ रखेगा? इसे सुधारने का मौका कैसे मिलेगा? वह किशोर भी यह सब सुन रहा था। उसकी आँखें भर आईं। वह उनसे क्षमा मांगते हुए बोला, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसने अन्य शिष्यों से भी माफ़ी मांगी।

संसद के अंदर साल दर साल करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। चुनाव खर्च भी चुनाव आयों बढ़ता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने अधिकतम खर्च की सीमा 95 लाख तय कर दी है। जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना, मध्यम एवं निम्न-वर्गीय ईमानदार व्यक्ति के लिये चुनाव लड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता है। लोकसभा में 2004 में 156 सांसद करोड़पति और अरबपति थे। 2009 में यह संख्या बढ़कर 315 हो गई है। 2014 में संख्या बढ़कर 443 हो गई। और सही कसर 2019 के लोकसभा चुनाव में करोड़पतियों और अरबपतियों सांसदों की संख्या बढ़कर 475 हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसमें भी अरबपति और करोड़पति उम्मीदवार बड़ी संख्या में

आम चुनाव के मतदान के दो चरण समाप्त हो जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों को जनता के मध्य अपनी स्थिति की वास्तविकता का कुछ सीमा तक पता चल गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की सम्भावना वाली भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत खेल खेला प्रारम्भ कर दिया है। तथाकथित इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेता लगातार भड़काऊ और नफरत बरानी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें अब वोट जिहाद और तालिबान भी आ गया है। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आतंकी फंडिंग मामले में सजा काट रहे यासीन मलिक का फोटो लगाया गया है। पोस्टर में यासीन मलिक की रिहाई के साथ कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई है। हालाँकि जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने यह पोस्टर हटा दिया। आतंकी यासीन मलिक कुख्यात अलगवावादी है जिससे 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात की थी। अब मलिक आजीवन कारावास को सजा काट रहा है और अभी उस पर कई और मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केरल में प्रतिबंधित पीएफआई जैसे संगठनों का सहयोग ले रही रही है और सनातन विरोधी बयानों पर चुप्पी साधे हुए है। मुस्लिम तुष्टीकरण का यह खुला लड़क कांग्रेस ही नहीं अपितु भारत की सभी वामपंथी और अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियाँ जमकर खेल रही हैं। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो बिहार हो या पंजाब बंगाल। विगत 10 वर्षों और अटल जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस व उसके गर्भ से निकले दलों व नेताओं ने ही सत्ता पर एकछत्र राज किया। ये सभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भाजपा को हराने की बात करने वालों तथा कट्टरपंथियों का समर्थन कर मतदान को मजहब के आधार पर प्रभावित किया करते थे।

संसद के अंगुने में गरीबों का क्या काम



संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा खर्च की अधिकतम सीमा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 95 लाख तय की गई है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के चुनाव खर्च के लिए अलग से खर्च करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से पूंजीपतियों को टिकट दी जा रही है। राजनीतिक दलों में सामान्य कार्यकर्ता और नेता हैं, उसे राजनीतिक दलों की टिकट नहीं मिलती है। टिकट लेने के लिये पार्टी फंड में दान करने और स्वयं चुनाव खर्च उठाने वाले उम्मीदवारों को पंजीकृत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पार्टियों द्वारा टिकट दी जाती है। सांसद और विधानसभा के अंदर मध्य और निम्न वर्ग की आवाज उठाने वाला सांसद अथवा

विधायक निर्वाचित होकर सदन में नहीं पहुंच रहे है। कुछ इसी तरीके की स्थिति जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पार्षद के चुनाव में भी देखने को मिलने लगी है। पंचायत के चुनाव में भी लाखों और करोड़ों रूपए के खर्च होने की बात सामने आती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। चुनाव में जब उम्मीदवार लाखों और करोड़ों रूपए खर्च करते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर वह धंधे तरह खर्च की भरपाई करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। जिसके कारण जनसेवा भी एक धंधा बन गया है। जिसके फल स्वरूप चुनाव से धीरे-धीरे मध्य और निम्न वर्ग के लोग बाहर होते चले जा रहे हैं। सांसद

और विधानसभा जहाँ कानून बनते हैं। वहाँ केवल करोड़पति और अरबपतियों की संख्या बहुतायत में होने के कारण, निम्न एवं मध्यम वर्ग प्रतिनिधित्व बंध सांसद और विधानसभा में करने वाला भी कोई नहीं रहा। पिछले 20 साल में यह स्थिति तेजी के साथ बदली है। पिछले 10 साल में सांसद में 204 फीसदी की दर से करोड़पति और अरबपति सांसदों की संख्या बढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो कुल 21 फीसदी सांसद ऐसे थे जिनकी संपति एक करोड़ रूपए से कम थी यदि आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती, तो इतका भी चुनाव संभव नहीं होता। राजनीतिक दल एस्पटी और एससी वर्ग के जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं। उनके लिए पार्टी फंड से उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। ऐसी स्थिति में वह पार्टी में बंधक के रूप में रहते हैं। वह अपनी बात मुखर होकर पार्टी के अंदर भी नहीं कह पाते हैं। विधानसभा और लोकसभा में विधिप में बंधे होने के कारण उनकी अपनी अलग से कोई आवाज नहीं होती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का है। 542 सांसदों में से यदि 475 सांसद करोड़पति और अरबपति हैं। शेष 21फीसदी सांसद आरक्षण वर्ग से आते हैं। जिसके कारण लोकसभा और विधानसभा में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है, लोकतंत्र के अंगुने में गरीबों का क्या काम है।

आम चुनाव और मुस्लिम तुष्टीकरण का विकृत खेल



भाजपा द्वारा धर्मनिरपेक्षता की सच्ची रेखा खींचने के बाद इन दलों के नेताओं के सामने अधना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है और ये वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाला पोसा करते थे अब उनके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं और धूर्तता के साथ उन्हें गरीबों का मसीहा बताकर मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं। पहले ये माफिया बूथ लूटकर व मतदान के समय बम, गोलियों दागकर वोट जिहाद किया करते थे अब उनके नेता व गुर्गु इनको शहीद बताकर मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में कायमगंज के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में इंडी गठबंधन के प्रत्यागी के समर्थन में पूर्व विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी सपा नेता मारिया आलम खां ने वोट जिहाद का नारा देकर समाजवादियों की मुश्किल बढ़ा दी है। मारिया आलम खां ने कहा कि हर महिला और हर

पुरुष वोट जिहाद करके संविधान बचाने की इस जंग को लड़ेगा। प्रदेश में वोट जिहाद शब्द को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब काफी तलख हो गई है। सपा-कांग्रेस गठबंधन हो जाने के कारण इस बार सलमान खुर्शीद का परिवार चुनावी मैदान से भले ही दूर हो गया हो किंतु अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। सलमान खुर्शीद का परिवार कई बार विवादों के घेरे में रहा है। खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद पर दिव्यांगों की सहायता करने के नाम पर धोलाई करने का मुकदमा चल रहा है। सलमान खुर्शीद बाटला हाउस एनकाउंटर व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। जब लुईस खुर्शीद को इस बात का आभास हो गया था कि इस बार उनके परिवार को टिकट नहीं मिलने जा रहा तब उन्होंने मीडिया के सामने अपने कार्यकर्ता से कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई पदाधिकारी उनसे मिलने आए तो उसे चप्पल से मारें। अब उसी परिवार की भतीजी

मारिया एक बार फिर वोट जिहाद की अपील कर रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के संभल से पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान वर्क के पोते एवं सपा प्रत्याशी जियाउर्रहमान वर्क अपनी नुककड़ सभा के वायरल वीडियो में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन की मौत को कुबानी बता रहा है। वीडियो वायरल हो जाने के बाद वर्क पर मुकदमा दर्ज हो गया है। उसके बाद भी वह नहीं रुका और उसने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी देते हुए बयान दिया कि जब वक्त बदलेगा तब बदला लिया जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी नैया पार लगाने व जनता के मध्य अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए चुनावी मैदान में अपने युवा कोआर्डिनेटर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद के नेतृत्व में रण में उतरी है और कुछ-कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने युवा कोआर्डिनेटर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद के लिए आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं जिसके कारण उनके खिलाफ सीतापुर जिले में केस भी दर्ज हो गया है। सीतापुर की एक जनसभा में आकाश ने अपनी सभी सीमाओं को लांघते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। अतीक, मुख्तार अंसारी व शहाबुद्दीन जैसे माफिया का राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग बसपा ने भी समय-समय पर किया है। (लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

कर-सुधार से जीएसटी दो लाख करोड़ पार

यह सुखद ही है कि देश कर संग्रहण सिस्टम में सुधार की दिशा में सार्थक पहल से एक कदम आगे बढ़ा है। देश में पहली बार जीएसटी का संग्रहण दो लाख करोड़ रुपये से पार चला गया है। कर विशेषज्ञ इसे टैक्स सिस्टम में सुधार के प्रयासों की सफलता बता रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भविष्य उसके समृद्ध आर्थिक संसाधनों पर ही निर्भर होता है। भारत के अड़ोस-पड़ोस के कई देशों की अर्थव्यवस्था नियोजन के अभाव, भ्रष्टाचार तथा लोकतन्त्रात्मक नीतियों के वय बोझ से चरमपरा गई। इसलिये आर्थिक अनुशासन और वित्तीय संसाधनों को समृद्ध करने का प्रयास बेहद जरूरी हो जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि अप्रैल में जहां देसी गतिविधियों से कर संग्रह में 13.4 फीसदी का इजाफा हुआ है, वहीं पिछले अप्रैल के मुकाबले में आयात से होने वाला राजस्व संग्रह भी 8.3 फीसदी बढ़ा है। निश्चय ही चालू वित्त वर्ष के पहले ही महीने यानी अप्रैल में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह पहली बार रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये होना अर्थव्यवस्था के लिये शुभ संकेत है, जबकि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिलहाल मंदी के रूझान नजर आ रहे हैं। यह वृद्धि बीते साल अप्रैल में एकर जीएसटी के मुकाबले 12.4 फीसदी अधिक है। आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध तथा गाजा में हमला इजरायल संघर्ष जैसी बा चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में वृद्धि देश की आर्थिक उन्नति के लिए अरुण संकेत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर प्राप्ति में बढ़ोतरी के मूल में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के रूझानों का असर है। उल्लेखनीय है कि वृद्धि आयात उपकर में भी हुई है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि आम तौर पर किसी भी नये वित्तीय वर्ष में पहले माह अप्रैल में सरकार को सर्वाधिक वस्तु एवं सेवा कर मिलता है। इस वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रहण से होने वाली आय से अर्थव्यवस्था के स्थायी रूझानों का पता चल सकेगा। निश्चित रूप से आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किन-किन महीनों में जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में केंद्रीय जीएसटी में इस बार 27.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ संग्रहीत राशि 94,153 करोड़ रुपये रही। दूसरी ओर राज्य जीएसटी संग्रह में आशातित 25.9 फीसदी की वृद्धि हुई। इस तरह राज्यों की जीएसटी संग्रह राशि 95,138 करोड़ हो गई। यानी राजस्व प्राप्ति की राह में राज्यों की भागीदारी में भी सुधार देखा गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, सिक्किम, मेघालय नगालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में इस साल के पहले महीने जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई है। आर्थिक विशेषज्ञ जीएसटी वृद्धि के मूल में उपभोक्ता उत्पादों की ज्यादा खपत का योगदान बता रहे हैं। गर्मी बढ़ने की वित्त में उपभोक्ता बड़े पैमाने पर एसी व फ्रिज आदि खरीदते हैं। बच्चों के शैक्षिक सत्र समापन के चलते बच्चों की छुट्टियों में पर्यटन बढ़ने को भी एक वजह माना जा रहा है। निस्संदेह, लंबी यात्राओं के चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। वहीं आम चुनावों के चलते चुनाव प्रक्रिया में जुड़े व्यवसायों की आय में हुई वृद्धि की भी इसमें भूमिका हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें मानना होगा कि वित्तीय नियायतक एजेंसियों की सक्रियता तथा जीएसटी अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने से भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का रूझान देखा जा सकता है। इसमें जहां रिटर्न भरने के लिए सख्ती, फर्जी चालान पर अकुश, पंजीकरण की अनिवार्यता को लेकर सख्ती से भी वस्तु-सेवा कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। विश्वास जाता जा रहा है कि जीएसटी राजस्व में वृद्धि से उत्साहित नई सरकार कर उगाही व्यवस्था में बदलाव के लिए नई पहल कर सकती है। सरकार दावा कर सकती है कि एक देश, एक कर की सोच सार्थक परिणाम लेकर सामने आ रही है। जो इस क्षेत्र में नये सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

अमन की फिजा में कश्मीर घाटी की अवाम भी करेगी मतदान



आरुण सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, संतुभकार और पूर्व सांसद हैं)

कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कुछ साल पहले तक सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही झुण्ड के झुण्ड दिखाई दिया करते थे, वहां आजकल लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोग खुलकर राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में धारा 370 को हटाये जाने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहे हैं। तब से घाटी की स्थिति में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। घाटी में आतंकवाद जब चरम पर चल रहा था, तब

2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 को हटाया जिस ऐतिहासिक संसद के सत्र में मैं भी भागीदार था, तब उनमें एक उम्मीद जगी है। तब से उन्हें यही महसूस हो रहा है कि अब वे किस तरह अपने कश्मीर जाकर फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट सकेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के दौर के बाद लाखों पंडितों ने अपमान और अत्याचार के दौर में घाटी को छोड़ा था। वे आगामी 13 मई को अपना वोट राजधानी के पृथ्वीराज रोड पर स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में जाकर डालेंगे।

बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और अन्य लोग वहां से भागकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में शरण ली थी। तब इनके सामने विस्थापन का संकट झेलने से लेकर अनिश्चित भविष्य की मुश्किलों का सामना करने के अलावा कोई दिशा या रास्ता भी तो नहीं था।

2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने जब धारा 370 को हटाया जिस ऐतिहासिक संसद के सत्र में मैं भी भागीदार था, तब उनमें एक उम्मीद जगी है। तब से उन्हें यही महसूस हो रहा है कि अब वे किस तरह अपने कश्मीर जाकर फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट सकेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के दौर के बाद लाखों पंडितों ने अपमान और अत्याचार के दौर में घाटी को छोड़ा था। वे आगामी 13 मई को अपना वोट राजधानी के पृथ्वीराज रोड पर स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में जाकर डालेंगे। उस दिन श्रीनगर सीट के लिए वोटिंग होनी है। यहां कश्मीरी पंडितों को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके बाद 20 मई (बाराभूला) और 25 मई को (अनंतनाग-राजौरी) में मतदान होगा। तब भी राजधानी और इसके आसपास रहने वाले कश्मीरी पंडित यहां आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे कश्मीर का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी कराकर वहां की जनता की चुनौती हुई सरकार को लाने और विकास कार्य में तेजी लाकर देश की मुख्यधारा से राज्य को जोड़ने के लिए प्रयास शुरू हो चुके



हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के अपने दौर में इस बात को साफ तौर पर कहा भी था। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य का यह पहला दौरा था। श्रीनगर के बख्शी स्टैडियम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब दो लाख लोग वहां पहुंचे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से बताया था कि कैसे उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालात को बदलने और वहां के युवाओं के लिए भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। राजधानी और एनसीआर में आज भी हजारों कश्मीरी पंडित रहते हैं।

वे अधिकतर दक्षिण दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को सरकार की ओर से हर महीने मासिक राहत पेंशन दिया जाता है। पहले यह 10,000 रुपये था, लेकिन पिछले साल 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसको 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कश्मीरी प्रवासी कार्डों में नाम जोड़ने को भी मंजूरी दे दी थी। इससे प्रवासियों के बड़े और विवाहित बच्चों को अपने स्वयं के कश्मीरी प्रवासी कार्ड प्राप्त करने और एएमआर के लिए पात्र बनने की अनुमति मिल गई।

उग्रवाद के दौरान विस्थापित हुए कश्मीरी परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार 1989-90 में एडहॉक मंथली रिलीफ

(एएमआर) शुरू की थी। 16 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए इसको बढ़ाकर कश्मीरियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले 2007 में सरकार ने एएमआर को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। राहत पाने वालों की संख्या भी इस बीच काफी बढ़ी है। शुरू में जितने कश्मीरी परिवार दिल्ली में थे, अब तो उसमें काफी इजाफा हो गया है।

राजधानी के जायिया मिल्लिया इस्लामिया समेत राजधानी के तमाम विश्वविद्यालयों और कालेजों में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। काफी लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। सिविल सर्विस से लेकर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में काफी कश्मीरी युवक-युवतियां नौकरी भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में घाटी के युवक और युवतियां यहां अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं।

दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली से सटे दूसरे शहरों में भी कश्मीर से विस्थापित बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। राजधानी में रह रहे कश्मीरी समुदाय का मानना है कि वर्षों बाद उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है। घाटी से विस्थापन के बाद कश्मीरी दंपतियों के दिल्ली में जन्म लेने वाले बच्चे भी अब बड़े हो गये हैं। वे भी अब अपने पूर्वजों की जगह कश्मीर को जाकर देखना चाहते हैं।

इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति (विशेष शक्तियां) अधिनियम कानून (एफएसपीए) को भी रद्द करने पर विचार कर रही है। सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है और कश्मीर की कानून व्यवस्था को अब पूरी तरह जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सरकार भी मान रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मूवमेंट कम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद में 80 फीसदी कमी आई है। पथरबाजी को घटनाएं तो पूरी तरह खत्म ही हो गई हैं। बंद, प्रदर्शन और हड़तालें भी नहीं हो रही हैं। गृह मंत्री ने कहा, 2010 में पथराव की 2564 घटनाएं हुई थीं, जो अब शून्य हैं। 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014-23 के दौरान यह घटकर 915 हो गई है। यह 68 प्रतिशत की कमी है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी और घटकर 341 हो गई है, जो 81 प्रतिशत की गिरावट है। सुरक्षा बलों की मौतें 1060 से घटकर 574 हो गईं, जो 46 प्रतिशत की कमी है।

मोदी सरकार ने आतंकवाद गतिविधियों में शामिल होने के लिए 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। 136 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। टैर फंडिंग को रोकने के लिए 22 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और 150 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है। 90 संपत्तियां भी कुर्क की गईं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। एक बात बहुत साफ है कि सरकार देश विद्रोही ताकतों को कुचलने के लिए तैयार है और जो वार्ता करना चाहता है उसका सदैव स्वागत भी है।

हां, उसे वाता संविधान के दायरे में आकर करनी होगी। वातवीत की प्रक्रिया में हुरियत कॉंग्रेस जैसे अलगाववादी संगठनों का कोई स्थान नहीं है। कदना न होगा कि अब देश बदला-बदला सा जम्मू-कश्मीर देख रहा है।

छात्र आंदोलन और अमेरिकी सख्ती पर सवाल



पुर्नान

अमेरिका में चुनाव तक गजा का सवाल विश्वविद्यालयों में गुंजा रहा। इसकी गुंजा फ्रांस के शिक्षा केंद्रों में भी होने लगी है। क्या भारत में इसका वायरस फैलने वाला है? यह सवाल देश के कई कैम्पसों से मिलना बाकी है। पिछले हफ्ते पेरिस के एक शीर्ष विश्वविद्यालय साइंसेज-पो में अमेरिका की देखादेखी फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शन शुरू हुआ। इमैनुएल मैक्रॉन इस प्रदर्शन से इतने नाराज हुए कि साइंसेज-पो की फंडिंग ही निलंबित कर दी। साइंसेज-पो में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और उनके प्रधानमंत्री गाब्रिएल अट्टल पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन ऐसा फैसला लेते समय मैक्रॉन ने इसका लिहाज नहीं किया। गजा में जारी युद्ध, फ्रांस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप के यहूदियों और प्रवासी मुसलमानों के लिए घर जैसा है, इसलिए दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी रहती है।

फ्रांस के धुर वामपंथी एलएफआई (ला फ्रांस इंसोमाइज) के सांसदों ने छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। मई दिवस के दिन ज्यों लुक मेलेक्नेल ने रूढ़िवादिताओं और मैक्रॉन सरकार के अवसरवादी व्यवहार की आलोचना की है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री गाब्रिएल अट्टल ने कहा कि बहस की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन साइंसेज-पो के शैक्षिक माहौल को अवरुद्ध करने वाले अल्पसंख्यक छात्र, बहुसंख्यकों पर अपने विचार थोप रहे थे। ऐसी विचारधारा को हम अदलालतिक पार से आयातित कह सकते हैं।

लेकिन इस समय जैरे बहस को बाइडेन हैं, जिनके चुनाव के समय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। 1 मई तक अमेरिका के 30 से अधिक कैम्पसों में हुए प्रदर्शनों में 1400 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किये गये हैं। गजा में नरसंहार रोकने के सवाल पर लगातार हुए



प्रदर्शन को रोकने के वास्ते, और यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बुधवार को एक विधेयक पास हुआ।

इसके पक्ष में 320 सांसद थे, और विरोध में 91. इस्क्रीस रिपब्लिकन और 70 डेमोक्रेट्स ने इसके खिलाफ मतदान किया था। बहुसंख्यक अमेरिकी जनता युद्धविराम के पक्ष में है, बावजूद इसके जो बाइडेन की जिद कहिए कि अमेरिका इस्त्राएल का समर्थन कर रहा है। इस समय न्यूयार्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में तनाव की स्थिति है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस्त्राएल के राजदूत गिलाद एर्दान ने छात्र प्रदर्शनकारियों की निंदा की। गिलाद एर्दान ने कहा, हम हमेशा से जानते थे कि हमारा स्कूलों में छिपा हैड्वे हमें यह अहसास ही नहीं हुआ कि यह सिर्फ गजा के स्कूलों में नहीं है, बल्कि अमेरिका में हार्वर्ड, कोलंबिया जैसे कुलीन विश्वविद्यालय भी इसके केंद्र हैं।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि छात्रों द्वारा एक शैक्षणिक भवन पर कब्जा करना बिल्कुल गलत

है। इसे शांतिपूर्ण विरोध हम कतई नहीं कह सकते। डेमोक्रेट जमाल बोमन, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पास न्यूयार्क जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इसे रोकने का आह्वान किया। बोमन ने एक बयान में कहा, कॉलेज परिसरों का सैन्यीकरण, पुलिस की व्यापक उपस्थिति और सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के बरअकस है। विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर कोलंबिया की अध्यक्ष मिनेचे शफीक ने हिंसा की निंदा की और कहा कि कैम्पस में शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब टैंट गाइडर प्रदर्शनकारी अड़ गये, और पुलिस ने उसे खाली कराने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग किया, उसे कोई भी अमन पसंद व्यक्ति सराह नहीं सकता।

अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को दोनों हाथों को पीछे कर हथकड़ी लगाकर ले जाने वाले विजुअल्स पूरी दुनिया देख रही है। वह किसी भी लोकतंत्रकामी को रास नहीं आ सकता। वहीं अमेरिका भारत को लोकतंत्र की नसीहत देता है। अफसोस, अमेरिका की बर्बर और बेहिस पुलिस

पर सवाल करने की मनाही है। वर्ष 2005 में पेंटागन से वाशिंगटन डीसी के बाल्टीमोर तक मेट्रो के सफर को भूला नहीं हूँ, जब बर्गर खा रहे एक स्कूली छात्र को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गई। अमेरिका में छोटी-छोटी बातों पर पुलिस द्वारा पिस्तौल तान देना, पटककर पीछे से हथकड़ी लगा देना सामान्य-सी बात है।

भारत में जघन्य आपराधिक मामलों वाले अभियुक्त को ही हथकड़ी लगाने का कोर्ट आदेश मिलता है। 80 के दशक में साधारण अपराध मामले में हथकड़ी पर रोक लगा दी गई थी। उमर खालिद को हथकड़ी लगाने के आवेदन को रद्द करते हुए दिल्ली की अदालत ने टिप्पणी की थी कि उमर को नौ गैंगस्टर नहीं है। तो क्या लोकतंत्र का चौधरी बने अमेरिका को भारत से नसीहत लेने की जरूरत है? गजा के दमन चक्र के सवाल पर अमेरिकी कैम्पस कुछ हफ्तों से छिटपुट प्रदर्शनों की चपेट में थे। लेकिन 22 अप्रैल, 2024 को यह प्रदर्शन फैल गया, जब न्यूयार्क विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, एमर्सन कॉलेज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) और टप्ट्स

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि छात्रों द्वारा एक शैक्षणिक भवन पर कब्जा करना बिल्कुल गलत है। इसे शांतिपूर्ण विरोध हम कतई नहीं कह सकते। डेमोक्रेट जमाल बोमन, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पास न्यूयार्क जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने इसे रोकने का आह्वान किया। बोमन ने एक बयान में कहा, कॉलेज परिसरों का सैन्यीकरण, पुलिस की व्यापक उपस्थिति और सैकड़ों छात्रों की गिरफ्तारी, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के बरअकस है। विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर कोलंबिया की अध्यक्ष मिनेचे शफीक ने हिंसा की निंदा की और कहा कि कैम्पस में शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब टैंट गाइडर प्रदर्शनकारी अड़ गये, और पुलिस ने उसे खाली कराने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग किया, उसे कोई भी अमन पसंद व्यक्ति सराह नहीं सकता। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को दोनों हाथों को पीछे कर हथकड़ी लगाकर ले जाने वाले विजुअल्स पूरी दुनिया देख रही है। वह किसी भी लोकतंत्रकामी को रास नहीं आ सकता। वहीं अमेरिका भारत को लोकतंत्र की नसीहत देता है।

विश्वविद्यालय सहित पूर्वी तट के कई परिसरों पर छात्रों ने टैंट लागाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। 40 से अधिक कैम्पसों में प्रोटेस्ट कैम्प लगा देखकर सरकार के हाथ-पांव फूल चुके थे। प्रदर्शन स्थल पर टैंट गाड़ देने से जो बाइडेन प्रशासन की भुंकेट तन चुकी थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में तीन समूहों ने पिछले बुधवार को टैंट सिटी स्थापित की। ये समूह हैं स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन फलस्तीन (एसजेपी), जेविश वॉयस फॉर पीस (जेवीपी) और विद्वान ऑवर लाइफटाइम। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील की थी कि वह उन कंपनियों के साथ काम करना बंद करे, जो गजा में युद्ध का समर्थन कर रही हैं।

25 अप्रैल, 2024 को एमर्सन कॉलेज, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और टेक्सास विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। प्रदर्शन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में फैल गए। गत 27 अप्रैल को जारी

कार्रवाई के कारण वाशिंगटन डीसी, पेरिजोना और इंडियाना विश्वविद्यालयों में लगभग 275 गिरफ्तारियां हुईं। एमोरी विश्वविद्यालय में हिरासत में लिए गए लोगों में कई प्रोफेसर भी शामिल थे। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में कर्मचारियों तक को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह सब कुछ एकतरफा नहीं था। 28 अप्रैल को एमआईटी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स के यूसीएलए में जवाबी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रोटेस्ट के जवाब में काउंटर प्रोटेस्ट। कौन करा रहा था, ये सब च्यूकि अमेरिका में यह चुनाव का वक्त है, वहां सबसे पावरफुल इस्त्राएल समर्थक लॉबी अमेरिकन इस्त्राएल पब्लिक अफेयर्स कमेटी (एआईपीएसी) जो बाइडेन के समर्थन में माहौल बनाने में लगी थी। उसके प्रयासों पर पानी फिर गया लगता है। एआईपीएसी के बक्स यहूदी अरबपति जाज सोरोस खड़े हैं, जो इस्त्राएल के विरुद्ध प्रदर्शनों के लिए मोटी फंडिंग कर रहे हैं।

जलते दीप

जयपुर, शनिवार 4 मई 2024

इंडी पर उठती अंगुलियां

इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध काम करता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मगर कानून को अमल में लाने वाली कोई एजेंसी अगर अपने अधिकारों को असीमित मानने लगे और उसके रवैये से मनमानी का संकेत मिलने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पिछले कुछ समय से प्रवर्तन निदेशालय यानी इंडी की सक्रियता ने सबका ध्यान आकृष्ट किया है और यह धारणा बनी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। मगर इसके साथ ही विपक्षी दलों ने कई बार सवाल उठाए हैं कि इंडी अपने अभियानों में सुविधा और अप्रग्रहों के मुताबिक चुने हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उसकी सक्रियता में एक खास तरह का आग्रह दिखाता है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों को यह मान कर नजरअंदाज कर दिया जा सकता कि वे अपने दल से संबंधित आरोपियों के बचाव में इंडी को कठघरे में खड़ा करती है। मगर यह भी सच है कि कई मौके पर खुद अदालतों की ओर से इंडी की कार्यशैली पर अंगुली उठाई गई है। सवाल है कि किसी कानून पर अमल को लेकर इंडी अगर ईमानदार है, तो बार-बार विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक की ओर से उसकी मंशा पर अंगुली क्यों उठ रही है! नौकरी के बदले जमीन के आरोपों से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने इंडी को फटकार लगाई और उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह एक जांच एजेंसी के रूप में कानून के नियमों से बंधी है और वैसे आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती, जो संदिग्ध तक नहीं है। जाहिर है, यह इंडी के कामकाज के तौर-तरीकों पर एक बार फिर गहरा सवालिया निशान है, जो उसकी साख को कसौटी पर रखता है। अगर इससे शासन के काम का एक ढांचा तैयार होता है तो उसका लोकतंत्र और जनता के अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विडंबना यह है कि इंडी के रवैये की वजह से पिछले कुछ समय से इस संबंध में कई सवाल उठे हैं। शायद इसी वजह से अदालत ने यह भी कहा कि इतिहास से कोई सबक सीखना है तो यह देखना चाहिए कि मजबूत नेता, कानून और एजिसियां आमतौर पर उन्हीं नागरिकों को निशाना बनाती हैं, जिनकी रक्षा का वे संकल्प लेती हैं। इस टिप्पणी को जनता के अधिकार और राज्य के कर्तव्य के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसमें उम्मीद की जाती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। करीब एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इंडी को यह सलाह दी गई थी कि वह अपनी कार्यशैली से भय का माहौल पैदा न करे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी इस बात का इशारा थी कि एजेंसी को राजनीतिक विरोधियों पर लगे आरोपों की जांच को लेकर संतुलित रख अख्तियार करने की जरूरत है। आखिर ऐसी शिकायतों की नौबत क्यों आनी चाहिए कि किसी एजेंसी के अधिकारियों के पेश आने का तरीका कई बार भयादोहन की तरह लगने लगता है। इस तरह के व्यवहार का एक स्वाभाविक नतीजा यह होता है कि वास्तविक कारण भी संदिग्ध लगने लगते हैं। ऐसे में इंडी के सामने यह विचार करने का वक है कि विपक्षी दलों से लेकर अदालतों तक के बीच उसकी कार्यशैली को लेकर जैसी राय बन रही है, वह उसकी साख को किस हद तक प्रभावित कर रही है और उसे अपने तौर-तरीके में क्या सुधार करने की जरूरत है!

टैक्स सिस्टम में सुधार के प्रयास

यह सुखद ही है कि देश कर संग्रहण सिस्टम में सुधार की दिशा में सार्थक पहल से एक कदम आगे बढ़ा है। देश में पहली बार जीएसटी का संग्रहण दो लाख करोड़ रुपये से पार चला गया है। कर विशेषज्ञ इसे टैक्स सिस्टम में सुधार के प्रयासों की सफलता बता रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का भविष्य उसके समृद्ध आर्थिक संसाधनों पर ही निर्भर होता है। भारत के अड़ोस-पड़ोस के कई देशों की अर्थव्यवस्था नियोजन के अभाव, भ्रष्टाचार तथा लोकलुभावन नीतियों के व्यय बोझ से चरमरा गई। इसलिये आर्थिक अनुशासन और वित्तीय संसाधनों को समृद्ध करने का प्रयास बेहद जरूरी हो जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि अप्रैल में जहां देसी गतिविधियों से कर संग्रह में 13.4 फीसदी का इजाफा हुआ है, वहीं पिछले अप्रैल के मुकाबले में आयात से होने वाला राजस्व संग्रह भी 8.3 फीसदी बढ़ा है। निश्चय ही चालू वित्त वर्ष के पहले ही महीने यानी अप्रैल में सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह पहली बार फिर्काईं 2.1 लाख करोड़ रुपये होना अर्थव्यवस्था के लिये शुभ संकेत है, जबकि दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिलहाल मंदी के रझान नजर आ रहे हैं। यह वृद्धि बीते साल अप्रैल में एकत्र जीएसटी के मुकाबले 12.4 फीसदी अधिक है। आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बीच यू.एस-यूक्रेन युद्ध तथा गजा में हम्मास इस्ाइल संघर्ष जैसी बाह्य चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में वृद्धि देश की आर्थिक उन्नति के लिये अच्छा संकेत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर प्रणियों में बढ़ोतरी के मूल में आर्थिक गतिविधियों में तेजी के रझानों का असर है। उल्लेखनीय है कि वृद्धि आयात उपकर में भी हुई है। वैसे एक तथ्य यह भी है कि आम तौर पर किसी भी नये वित्तीय वर्ष में पहले माह अप्रैल में सरकार को सर्वाधिक वस्तु एवं सेवा कर मिलता है। इस वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में जीएसटी संग्रहण से होने वाली आय से अर्थव्यवस्था के स्थायी रझानों का पता चल सकेगा। निश्चित रूप से आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि किन-किन महीनों में जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में केंद्रीय जीएसटी में इस बार 27.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ संग्रहीत राशि 94,153 करोड़ रुपये रही। दूसरी ओर राज्य जीएसटी संग्रह में अशांतित 25.9 फीसदी की वृद्धि हुई। इस तरह राज्यों की जीएसटी संग्रह राशि 95,138 करोड़ हो गई। यानी राजस्व प्राप्ति की राह में राज्यों की भागीदारी में भी सुधार देखा गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, तमिऴनाडु और अंडमान निकोबार, सिक्किम, मेघालय नगालैंड को छोड़कर सभी राज्यों में इस साल के पहले महीने जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई है। आर्थिक विशेषज्ञ जीएसटी वृद्धि के मूल में उपभोक्ता उत्पादों की ज्यादा खपत का योगदान बता रहे हैं। गर्मी बढ़ने की चिंता में उपभोक्ता बड़े पैमाने पर एसी व फिज आदि खरीदते हैं। बच्चों के शैक्षिक सत्र समापन के चलते बच्चों की छुट्टियों में पर्यटन बढ़ने को भी एक वजह माना जा रहा है। निस्संदेह, लंबी यात्राओं के चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है। वहीं आम चुनावों के चलते चुनाव प्रक्रिया में जुड़े व्यवसायों की आय में ह्रूँ वृद्धि की भी इसमें भूमिका हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हमें मानना होगा कि वित्तीय नियामक एजेंसियों की सक्रियता तथा जीएसटी अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने से भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि का रझान देखा जा सकता है। इसमें जहां रिटर्न भरने के लिये सख्ती, फर्जी चालान पर अंकुश, पंजीकरण की अनिवार्यता को लेकर सख्ती से भी वस्तु-सेवा कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। विश्वास जागया जा रहा है कि जीएसटी राजस्व में वृद्धि से उत्पाहित नई सरकार कर उाही हव्यवस्था में बदलाव के लिये नई पहल कर सकती है। सरकार दावा कर सकती है कि 'एक देश, एक कर' की सोच सार्थक परिणाम लेकर सामने आ रही है। जो इस क्षेत्र में नये सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

प्रसंगत:	समय का उपयोग
एक बार प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार डॉ. जॉन से उनके एक मित्र ने अपनी परेशानियों का बखान करते हुए कहा, देखिए दिन-रात में कुल मिलाकर २४ घंटे होते हैं। इनमें से ८ घंटे सोने में, ८ घंटे ऑफिस में और बाकी ८ घंटों में न जाने कितने काम करने पड़ते हैं। खाना-पीना, हजारमत बनाना, भेंट-मुलाकात, पत्र व्यवहार जैसे काम इन्हीं ८ घंटों में निपटाने पड़ते हैं। मैं तो बेहद परेशान हो जाता हूं। इतनी व्यस्त जिंदगी में लाख इच्छा रखने पर भी मैं न किसी धार्मिक चर्चा में शामिल हो पाता हूं, न धर्मग्रन्थों को पढ़ने के लिए ही आवश्यकता निकाल पाता हूं। इनसे पीछा छोड़ें तभी धार्मिक क्रियाकलापों में लगूंगा। डॉ. जॉनसन मुस्कराए और बोले तब तो लगता है मुझे भ्रूओं मरना पड़ेगा। ‘ क्यों?’ मित्र ने पूछा। डॉ. जॉनसन ने कहा, आप जानते हैं कि मैं अधिक खाने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन दुनिया में अरु उपजाने के लिए सिर्फ एक चौथाई जमीन है। उसमें भी न जाने कितने पहाड़, सभुद्ध, नदियां और रेगिस्तान हैं जबकि संसार में मेरे जैसे पेट भरने वाले करोड़ों हैं। मित्र बोला आप तो व्यर्थ ही परेशान होते हैं। दुनिया में सदा से करोड़ों लोग रहते आए हैं। उनके भोजन का इंतजाम भी होता आया है। फिर आप किरालिए जितना चिंतन कर रहे हैं। यह युनकर डॉ. जॉनसन बोले आप ठीक कहते हैं। यदि मेरे जीवन का प्रबंध हो सकता है तो फिर कोई कारण नहीं है कि आपको धार्मिक समारोह में शामिल होने व धर्मग्रंथ पढ़ने का समय न मिले। मित्र निरुत्तर हो गया। एक बार युवान के विख्यात दार्शनिक प्लेटो से किसी ने पूछा आपक पास दुनिया के कोने-कोने से बड़े-बड़े विद्वान कुछ न कुछ सीखने आते हैं। फिर यह क्या बात है कि आप इतने महान दार्शनिक होकर भी दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप किसी से भी कुछ सीखने लग जाते हैं। आखिर आप कब तक सीखते रहेंगे? प्लेटो ने सहज भाव से उत्तर दिया जब तक दूसरों से सीखने में मुझे शर्म नहीं आएगी तब तक।	

शंकाओं के समाधान करने की पहल जरूरी

कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर देश-दुनिया में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि, ऐसा बहुत दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है।

अप्रैल, 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लॉडिंगा भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई, 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता है। हालांकि, इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई।

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा संबंधित मामलों को देखते हुए यूके में अब ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की जाती है। हालांकि, कई इंडिपेंडेन्ट स्टडीज में इस वैक्सीन को महामारी से निपटने में बेहद कारगर बताया गया। वहीं, साइड इफेक्ट्स के मामलों की वजह से इस वैक्सीन के खिलाफ जांच शुरू की गई और कानूनी कार्रवाई हुई।

कोरोना से बचाने में कोविड वैक्सीन को काफी मददगार माना गया। मगर ब्रिटिश फार्मा कंपनी की एस्ट्राजेनेका ने एक मामले में कबूला कि उसकी वैक्सीन के दुर्लभ साइड इफेक्ट में हार्ट अटैक हो सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसे कोविशील्ड के नाम से लगावाया गया है।

मॉडर्न लाइफ स्टाइल में ज्यादातर लोग घंटों ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करते हैं, जिसके कारण कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जब आप काफी देर तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या बढ़ जाती है। शरीर में खून के थक्के जमना को ‘वेन थ्रोम्बोसिस’ की बीमारी कहते हैं।

ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में हो सकती है। काफी ज्यादा एक जगह बैठने के कारण यह बीमारी हो सकती है। हालांकि, यह बीमारी खतरनाक रूप तब ले लेती है जब ब्लड क्लॉट्स

का एक हिस्सा टूट जाता है और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। थ्रोम्बोसिस के कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिरने का खतरा बढ़ जाता है। दिल का दौरा (मायोकार्डियल इन्फर्क्शन) बेहद खतरनाक स्थिति है, जिसमें दिल की एक या उससे अधिक धमनियों में ब्लॉकेज होने लगते हैं।

इसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दिल में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण खून के थक्के जमने लगते हैं और बाद में हार्ट अटैक पड़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में भी यही होता है कि ब्रेन में ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खरों को भांप लिया था। सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खरों से ज्यादा थे।

मैडिसिन हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी (एमएचआरए) के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं, जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। एमएचआरए के मुताबिक, साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे, जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी।

दूसरा पहलू यह है कि कोरोना के समय में इसी वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान भी बचाई थी। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्गिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। भारत में इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे। फ़िलहाल कोविशील्ड की यह खबर आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गयी है। कुल मिलाकर इस संवेदनशील मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय (लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं।)

अमन की फिजा में कश्मीर घाटी की अवांम भी करेगी मतदान

श्रीनगर के जिस लाल चौक पर कुछ साल पहले तक सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों के ही झुंड के झुंड दिखाई दिया करते थे, वहां आजकल लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोग खुलकर राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में अनुच्छेद 370 को हटायें जाने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहे हैं। तब से घाटी की स्थिति में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। घाटी में आतंकवाद जब चरम पर चल रहा था, तब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और अन्य लोग वहां से भागकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में शरण ली थी। तब इनके सामने विस्थापन का संकेत झेलने से लेकर अनिश्चित भविष्य की मुश्किलों का सामना करने के अलावा कोई दिशा या रास्ता भी तो नहीं था।

साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा की थी। तबसे कश्मीरी हिन्दुओं में एक उम्मीद जगी है। तब से उन्हें यही महसूस हो रहा है कि अब वे किस तरह अपने कश्मीर जाकर फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट सकेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के दौर के बाद लाखों पंडितों ने अपनाम और अत्याचार के दौर में घाटी को छोड़ा था। वे आगामी 13 मई को अपना वोट राजधानी के पृथ्वीराज रोड पर स्थित जम्मू-कश्मीर हाउस में जाकर डालेंगे। उस दिन श्रीनगर सीट के लिए वोटिंग होनी है। यहां कश्मीरी पंडितों को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। इसके बाद 20 मई (बारामूला) और 25 मई को (अनंतनाग- राजौरी) में मतदान होगा। तब भी राजधानी और इसके आसपास रहने वाले कश्मीरी पंडित यहां आकर अपने मतार्थिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी कराकर वहां की जनता की चुनी हुई सरकार को लाने और विकास कार्य में तेजी लाकर देश की मुख्यधारा से राज्य को जोड़ने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्य के अपने दौरें में इस बात को साफ तौर पर कहा भी था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का राज्य का यह पहला दौरा था। श्रीनगर के बख्शी

स्टैंडियम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब दो लाख लोग पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तार से बताया था कि कैसे उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर के हालात को बदलने और वहां के युवाओं के लिए भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। राजधानी और एनसीआर में आज भी हजारों कश्मीरी पंडित रहते हैं। ये अधिकतर दक्षिण दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों को सरकार की ओर से हर महीने मासिक राहत पैकेज दिया जाता है। पहले यह 10,000 रुपये था, लेकिन पिछले साल 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसको 10,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रति माह कर दिया

– आर.के. सिन्हा

था। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कश्मीरी प्रवासी कार्डों में नाम जोड़ने को भी मंजूरी दे दी थी। इससे प्रवासियों के बड़े और विवाहित बच्चों को अपने स्वयं के कश्मीरी प्रवासी कार्ड प्राप्त करने और एएमआर के लिए पात्र बनने की अनुमति मिल गई। उग्रवाद के दौरान विस्थापित हुए कश्मीरी परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए सरकार 1989-90 में एडवॉक मंथली रीलिफ (एमआर) शुरू की थी। 16 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रह रहे कश्मीर लोगों के लिए इसको बढ़ाकर कश्मीरियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। इससे पहले 2007 में सरकार ने एएमआर को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था। राहत पाने वालों की संख्या भी इस बीच काफी बढ़ी है। शुरू में जिनने कश्मीरी परिवार दिल्ली में थे, अब तो उसमें काफी इजाफा हो गया है। राजधानी के जांभिया मिल्डिया इस्लामिया समेत राजधानी के तमाम विश्वविद्यालयों और कालेजों में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। काफी लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। सिविल सर्विस से लेकर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में काफी कश्मीरी युवक-युवतियां नौकरी भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में घाटी के युवक और युवतियां यहां अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली से सटे दूसरे शहरों में भी कश्मीर से विस्थापित बड़ी

छात्र आंदोलन और अमेरिकी सख्ती पर सवाल

अमेरिकी में चुनाव तक गजा का सवाल विश्वविद्यालयों में गुंजात रहेगा। इसकी गूंज फ्रांस के शिक्षा केंद्रों में भी होने लगी है। क्या भारत में इसका ‘वायरस’ फैलने वाला है? यह सवाल देश के कई कैम्पसों से मिलना बाक़ी है। पिछले हफ्ते पेरिस के एक शीर्ष विश्वविद्यालय ‘साइंसेज-पो’ में अमेरिका की देखादेखी फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शन शुरु हुआ। इमैनुएल मैक्रों इस प्रदर्शन से इतने नाराज हुए कि ‘साइंसेज-पो’ की फांइंग ही निलंबित कर दी। ‘साइंसेज-पो’ में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनके प्रधानमंत्री गाब्रिएल अह्लत पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन ऐसा फैसला लेते समय मैक्रों ने इसका लिहाज नहीं किया। गज़ा में जारी युद्ध, फ्रांस के लिए संवेदनशील मुद्दा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप के यहूदियों और प्रवासी मुसलमानों के लिए घर जैसा है, इसलिए दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी रहती है। फ्रांस के धुर वामपंथी एलएफआइ (ला फ्रांस इंसोमाइज) के सप्तदश ने छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। मई दिवस के दिन ज्यों लुक मेले-न्कोल ने रूढ़िवादियों और मैक्रों सरकार के अवसरवादी व्यवहार की आलोचना की है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री गाब्रिएल अह्लत ने कहा कि बहस की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन ‘साइंसेज-पो’ के शैक्षिक माहौल को अवरुद्ध करने वाले अल्पसंख्यक छात्र, बहुसंख्यकों पर अपने विचार थोप रहे थे। ऐसी विचारधारा को हम ‘अटलांटिक पार से आयातित’ कह सकते हैं। लेकिन इस समय ज़ेरे बहस जो बाइडेन हैं, जिनके चुनाव के समय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जोरगर् प्रदर्शन हो रहे हैं। 1 मई तक अमेरिका के 30 से अधिक कैम्पसों में हुए

प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर कोलंबिया की अध्यक्ष मिनोचे शफ़ीक ने हिंसा की निंदा की और कहा कि कैम्पस में शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब टैंट गाड़कर प्रदर्शनकारी अड़ गये, और पुलिस ने उसे खाली कराने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग किया, उसे कोई भी अमन पसंद व्यक्ति सराह नहीं सकता। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को दोनों हाथों को पीछे कर हथकड़ी लगाकर ले जाने वाले विजुअल्स पूरी दुनिया देख रही है। वह किसी भी लोकतंत्रकामी को रास नहीं आ सकता। वही अमेरिका भारत को लोकतंत्र की नसीहत देता है।

अफ़सोस, अमेरिका की बर्बर और बेहिस पुलिस पर सवाल करने की मनाही है। वर्ष 2005 में पेंटागन से वाशिंगटन डीसी के बाल्टीमोर तक मेट्रो के सफ़र को भूला नहीं हूं, जब बर्गर खा रहे एक स्कूली छात्र को पुलिस हथकड़ी लगाकर ले गईं। अमेरिका में छोटी-छोटी बातों पर पुलिस सारा पिस्तौल तान देना, पटककर पीछे से हथकड़ी लगा देना सामान्य-सी बात है। भारत में जघन्य आपराधिक मामलों वाले अभियुक्त को ही हथकड़ी लगाने का कोर्ट आदेश मिलता है। 80 के दशक में साधारण अपराध मामलों में हथकड़ी पर रोक लगा दी गई थी। उमर ख़ालिद को हथकड़ी लगाने के आवेदन को रद्द करते हुए दिल्ली की अदालत ने टिप्पणी की थी कि उमर कोई गैंगस्टर नहीं है। तो क्या लोकतंत्र का चौधरी बने अमेरिका को भारत से नसीहत लेने की जरूरत है? गज़ा के दमन चक्र के सवाल पर अमेरिकी कैम्पस कुछ हफ्तों से छिटपुट प्रदर्शनों की चपेट में थे। लेकिन 22 अप्रैल, 2024 को यह

– पुष्परंजन

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 17 अंक 67

प्लास्टिक प्रदूषण का सामना

तकरीबन 175 देशों के प्रतिनिधियों के नैरोबी में एकत्रित होने और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से प्रभावी पहली संधि करने पर सहमति होने के दो वर्ष बाद भी इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि निकट भविष्य में दुनिया इस विषय पर किसी सहमति पर पहुंच सकेगी और प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर कोई संधि हो सकेगी। प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर अंतरसरकारी वार्ता समिति की ओटावा में चौथी बैठक हाल ही में हुई। बहरहाल, आश्चर्य नहीं कि आधी रात के बाद तक बातचीत के बावजूद प्लास्टिक कचरे के अंतिम निपटान तक इसके संपूर्ण जीवनचक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता है लेकिन कुछ देशों ने कहा कि इसके उत्पादन पर कोई सीमा आरोपित करना संभव नहीं प्रतीत होता। पेट्रोकेमिकल संपन्न देशों और कई औद्योगिक समूहों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ लॉबीइंग की। इसके बजाय वे चाहते हैं कि संधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

यह बात सभी जानते हैं कि कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना भर प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पूरी दुनिया में हर वर्ष 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है। दुनिया भर में अब तक उत्पन्न सात अरब टन प्लास्टिक कचरे में से 10 फीसदी से भी कम का पुनर्चक्रण हुआ है। अधिकांश प्लास्टिक कचरा समुद्रों और कचरे के ढेरों में जाता है। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलिमर होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। समस्या यहीं समाप्त नहीं होती है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। पॉलिमराइजेशन की प्रक्रिया और उत्सर्जन करती है। अमेरिका की लॉरेंस बर्कली नेशनल लैबोरेटरी के अनुमानों के मुताबिक 2019 में प्लास्टिक निर्माण के कारण 2.24 गीगाटन ऐसा प्रदूषण हुआ जो धरती का तापमान बढ़ाने वाला है। यह 600 कोयला संचालित ताप बिजली घरों के उत्सर्जन के बराबर है। चार फीसदी वार्षिक वृद्धि के अनुमान के साथ देखें तो 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन 5.13 गीगाटन हो जाएगा, भले ही तब तक हम सफलतापूर्वक पावर ग्रिड का अकार्बनीकरण कर चुके हों।

इस संदर्भ में वैश्विक समझौते पर नहीं पहुंच पाया दिखाता है कि कारोबारी और आर्थिक हित संभावित पर्यावरणीय लाभों पर भारी पड़ रहे हैं। दुनिया की सात शीर्ष प्लास्टिक उत्पादन कंपनियों जीवाश्म ईंधन कंपनियां ही हैं। बीते कुछ दशकों में प्लास्टिक को लेकर एक नई चिंता सामने आई है और वह है मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव। सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के अंश न केवल इंसानी खून में बल्कि गर्भनाल में भी पाए गए हैं। समुचित निपटान प्रणाली और कचरा संग्रहण तकनीक प्लास्टिक के जलवायु प्रभाव को रोकने या उन्हें मनुष्य के शरीर में पहुंचने से रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। ऐसा कचरे के प्लास्टिक बन जाने के बहुत पहले हो जाता है। ऐसे में उत्पादन कम करके ही लंबी अवधि में इस समस्या से निपटा जा सकता है।

सन 2022 में भारत ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 लागू किया था जिसके तहत 19 श्रेणियों में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था हालांकि वे देश में एकल इस्तेमाल वाले कुल प्लास्टिक का केवल 11 फीसदी है। परंतु अब भी उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। तमाम स्थानों पर इनकी बिक्री चल रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्लास्टिक की समस्या को लेकर निजी या सार्वजनिक रूप से पर्याप्त फंडिंग नहीं आ रही है। इसके चलते बेहतर लागत वाले विकल्प सामने नहीं आ रहे हैं। फोटो-ऑक्सिडेशन या प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स मसलन नेट्रिजिएंस बैक्टीरिया का उत्पादन भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल बुसान की राह अनिश्चित है जहां वार्ता समिति की पांचवें दौर की बातचीत इस वर्ष के अंत में होनी है।



बिनाय सिन्हा

भारत के लिए पश्चिम एशिया की सुरक्षा कितनी अहम

इस क्षेत्र में भारत के अपने हित भी जुड़े हैं, इसके बावजूद इसकी नीति के लक्ष्य इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता पर केंद्रित नहीं हैं। बता रहे हैं श्याम सरन

इजरायल-हमास युद्ध की शुरुआत हुए अब सात महीने हो चुके हैं लेकिन अब भी इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि इजरायल के नेता बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक अस्तित्व संभवतः युद्ध की निरंतरता और इसका विस्तार क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में होने पर निर्भर करता है। दमिश्क में 1 अप्रैल को ईरानी वाणिज्य दूतावास का हवाई बमबारी और इसके परिणाम में मौजूद ईरान के रिवालयनरी गार्ड्स के कई वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या ईरान के प्रतिशोध को भड़काने का एक सुनियोजित और निंदनीय प्रयास था।

हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप और ईरान के संयम बरतने के साथ ही हालात और बिगड़ने न देने के मकसद से नियंत्रण बनाने की कोशिश की गई। लेकिन गाजा में इजरायल की फिलिस्तीनियों पर बढ़ती बर्बरता और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायल के बढ़ते हमले पर से ध्यान हट गया है। इन क्षेत्रों में इजरायल की अवैध बस्तियों का विस्तार

हो रहा है जो भविष्य में फिलिस्तीन का क्षेत्र बन सकता था। इन बस्तियों का उन्मादी विस्तार और अपने पूर्वजों की जमीन पर रहने वाले फिलिस्तीनियों का विस्थापन और उनकी जबरन निकासी जैसा मुद्दा किसी भी दो स्वतंत्र राष्ट्र वाले समाधान को असंभव बना देता है। गाजा युद्ध के बाद इसके फिर से चर्चा में आने के बावजूद किसी तरह के संघर्ष विराम को कोई भी गंभीर विश्लेषक इसे यथार्थवादी संभावना नहीं मानेगा, खासतौर पर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले के बाद और गाजा में पैदा हुई मानवीय संकट की स्थिति के बाद, जिसके लिए इजरायल सीधे जिम्मेदार है।

दो राष्ट्र-राज्य जैसे सिद्धांत के व्यावहारिक समाधान के लिए इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच जरूरी न्यूनतम पारस्परिक आत्मविश्वास और भरोसा भी खत्म हो गया है। अब 1993 के ओस्लो समझौते के दौर में वापस लौटना भी मुमकिन नहीं है जिसके तहत

बेहद अलग परिस्थितियों में नतीजे की कल्पना की गई थी। दरअसल इससे जुड़े मुख्य पक्षों, इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी गंभीरता से इसको लेकर कभी पहल नहीं की थी। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने नेतृत्व तब मशहूर नेता यासिर अरफात कर रहे थे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद रणनीतिक अवसर कभी भी बँटते बिना नहीं मिल सकता है जिसे अपनी इच्छानुसार चुना जा सके।

अमेरिका के नजरिये में 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले के बाद बदलाव आया। इसके बाद, इस्लाम विरोधी भावना व्यापक हो गई और यह अब भी बनी हुई है। ओस्लो समझौते के मुताबिक इजरायल को अपने हिस्से का योगदान देने को लेकर अब कोई दबाव नहीं है। दो स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य के प्रस्ताव से

जुड़े समाधान की बात कब की खत्म हो चुकी है। अमेरिका, अरब देशों और भारत सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा इसे मौजूदा संघर्ष के समाधान के रूप में पेश करना सही नहीं है, खासतौर पर इस बात से वाकिफ होते हुए कि जिन परिस्थितियों में ऐसी साहसिक और यथार्थवादी पहल की गई थी वे अब नहीं हैं।

अमेरिका को 1990 के दशक की शुरुआत में जो ताकत हासिल थी अब वैसी स्थिति नहीं है। इजरायल के साथ ही इसका मानना है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक कठिन और जटिल राजनीतिक समाधान की मांग करने के बजाय, अपने सुरक्षा प्रबंधन की बात करना भविष्य के लिए अधिक यथार्थवादी रास्ता हो सकता है। हमने दुनिया के अन्य हिस्से में लंबे समय से चले रहे संघर्षों में इसे देखा है। दमनकारी राज्य सत्ता के उपकरणों के माध्यम से प्रबंधित होने वाले संघर्ष को राजनीतिक संघर्ष के बजाय, सुरक्षा चुनौती के रूप में देखना आसान लग सकता है, लेकिन यह अदृष्टदर्शिता है। जमीनी स्तर पर यह एक उपयुक्त रास्ता लग सकता है।

दूसरी ओर अरब देशों का भी इस नजरिये को बढ़ावा देने में मिलीभगत है। इजरायल ने अब तक मित्र और जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन सहित महत्वपूर्ण खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर कोई कीमत नहीं चुकाई है। ऐसा तब है जब इन सभी देशों में लोग इजरायली फौजों द्वारा गाजा और वेस्ट बैंक में अपने फिलिस्तीनी भाइयों पर किए जा रहे अमानवीय हमले को लेकर काफी उतेजित हो रहे हैं। हालांकि भारत में फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति का भाव है और यह भारत की आजादी के बाद से ही लगातार मजबूत रहा है लेकिन अब इसे हतोत्साहित किया जा रहा है।

भारत को उम्मीद है कि यह इजरायल और अरब देशों के साथ अपने पारस्परिक लाभदायक संबंधों को सफलतापूर्वक बनाए रखने में सक्षम होगा। अब तक इसे किसी भी पक्ष को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में भारत के दांव को देखते हुए, इसकी वर्तमान नीति सबसे अनुकूल प्रतीत हो सकती है। तेल संपदा से भरपूर देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही वह इस क्षेत्र में रहने और काम करने वाले लगभग 60 लाख भारतीयों के कल्याण को भी ध्यान में रख रहा है। इससे एक

विस्तारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक और व्यावसायिक मौके भी बन रहे हैं।

इजरायल के साथ मजबूत साझेदारी के चलते भारत की रक्षा क्षमता में मजबूती आ रही है और यह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में मददगार साबित हो रहा है। इजरायल-हमास युद्ध और फिलिस्तीनियों के लिए चीन के खुले समर्थन के बाद अब हालात ऐसे हैं कि चीन के प्रति इजरायल खुले तौर पर आक्रामक हो गया है। इसने पश्चिम एशिया क्षेत्र और उसके बाहर दोनों जगह चीन का मुकाबला करने को लेकर भारत के साथ संवाद शुरू कर दिया है। चीन और इसकी दुनिया भर की गतिविधियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया इजरायली थिंक टैंक स्थापित किया गया है। इससे भारत के लिए इस क्षेत्र में और इससे बाहर भी मौके तैयार हो रहे हैं। भारत ने ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं लेकिन यह अमेरिका द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही है। उदाहरण के तौर पर तेल खरीद मामले को ही देखा जा सकता है। हालांकि यह समय के साथ कम हो गया है। यह बात अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखने और इसका विस्तार करने के संकेत से भी स्पष्ट होती है।

पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीतिक तौर पर अहम है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीतिक अशांति, सशस्त्र संघर्ष या ऊर्जा आपूर्ति में बाधा का भारत पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इस क्षेत्र के सभी प्रमुख पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है और भारत ने पूरी कुशलता के साथ ऐसे संबंधों पर आगे बढ़ने की पहल की है। लेकिन भारत वास्तव में इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम नहीं रहा है जिससे इसके अपने हितों की रक्षा भी हो सकती है।

भारत ने विभिन्न देशों के साथ संतुलित दूरी और निकटता की रणनीति अपनाई है और आकर डिप्लोमैटिक संबंधों का एक नेटवर्क सबसे ज्यादा अहम है जो एक सुसंगत क्षेत्रीय रणनीति के लिहाज से मजबूत पक्ष है। ऐसी क्षेत्रीय रणनीति के बिना, भारत की पश्चिम एशिया नीति प्रतिक्रियावादी बनी रहेगी जो उभरती आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के बजाय क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को आकार देने पर केंद्रित होगी। (लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं और सेंट्रल फॉर पॉलिसी रिसर्च में मानद फेलो हैं)

कपड़ा नगरी सूरत में अलग तरह का संकट

गुजरात की टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर शहर सूरत में इन दिनों चीन की काफी चर्चा हो रही है। सूरत वही शहर है जहां चुनाव से पहले ही संसद निर्विरोध चुना जा चुका है। चीन का कथानक न केवल यहां के उद्योग जगत की आंतरिक चर्चा का हिस्सा है बल्कि राजनीतिक दलों और कारोबारियों के बीच होने वाली हितधारकों की बैठकों में भी यह उठता है। कम से कम 7 मई के मतदान के पहले सूरत में होने वाली बातचीत से तो यही अंदाजा लगता है।

हितधारकों की बैठकों में आमतौर पर 500 से 1,000 कारोबारी प्रतिनिधि और स्थानीय नेता आते हैं। इंदौर के साथ देश के सबसे स्वच्छ शहर आंके गार्ड सूरत में इनकी शुरुआत करीब एक पखवाड़ा पहले बहुत धूमधाम से की गई थी। यह अलग बात है कि सूरत और इंदौर दोनों में एक और समानता है। दोनों संसदीय क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशी नाटकीय ढंग से चुनाव मैदान से बाहर हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी के सदस्यता के अयोग्य घोषित होने तथा अन्य उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद सूरत से भाजपा के मुकेश दलाल सांसद बन चुके हैं लेकिन शहर में चुनावी माहौल बदस्तूर बना हुआ है। शहर के होटल, पार्क और बाजारों में प्रचार अभियान और रैलियां जारी हैं। ऐसा इसलिए कि दो करीबी शहर नवसारी (इसे सूरत का जुड़वा शहर भी कहा जाता है) और बारडोली भी सूरत क्षेत्र में आते हैं। बारडोली

मिंदोला नदी के तट पर स्थित है। सूरत से करीब 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस शहर को सत्याग्रह आंदोलन के लिए जाना जाता है। सूरत से 37 किलोमीटर दक्षिण में स्थित नवसारी शहर भी ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। दांडी गांव इसके करीब ही स्थित है जो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है।

अतीत के मोह से जुड़े इस परिदृश्य में चीन का जिक्र गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों यानी क्यूसीओ की वजह से आ रहा है। यह आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है। बीते एक वर्ष में ऐसे आठ आदेश आए हैं जिनमें जियो-टेक्सटाइल, एग्रो-टेक्सटाइल और मेडिकल टेक्सटाइल जैसे तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े संशोधन भी शामिल हैं। यह चिंता की बात है। उद्योग जगत पहले ही इस मामले को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल तथा स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसूख मांडविया तक पहुंचा चुका है। मांडविया उन मंत्रियों में शामिल हैं जो गुजरात से लोक सभा चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि कपड़ों से जुड़े कुछ मुद्दे रसायनों से संबंधित होते हैं इसलिए मांडविया का नाम इसमें शामिल हो गया।



सामयिक सवाल निवेदिता मुखर्जी

क्यूसीओ का उद्देश्य जहां खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकना है, वहीं विचार यह भी है कि चीन से सस्ती दरों पर आने वाले माल को रोकना जा सके तथा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सके। यह बात करीब 13.7 लाख करोड़ रुपये के टेक्सटाइल उद्योग को परेशान कर रही है। चीन से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ता धागा आता है। ऐसे में वहां से होने वाला आयात रोकने से धागे की कमी हो गई। उद्योग जगत के मुताबिक चीन कीमतों और गुणवत्ता दोनों में स्थिरता प्रदान करता है। इससे टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि बीते कुछ समय में घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय वजहों से उसे कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा है। उद्योग जगत की मांग है कि इन क्यूसीओ को हटा लिया जाए क्योंकि इनकी वजह से कारोबार बाधित हो रहा है। उनका सवाल है कि अगर चीन के उत्पादों को कुछ अन्य क्षेत्रों में आने की इजाजत है तो टेक्सटाइल क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उपकरणों (एमएसएमई) तथा छोटे बुनकरों की बात करें तो वे पहले ही परेशान हैं क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र की उत्पादन संबद्ध

प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि क्यूसीओ एक ऐसी बाधा है जिसके बिना वे काम कर सकते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आदेशों की सूची में जटिल तकनीकी विशिष्टताओं की बात की गई है जिन्हें कई कपड़ा कारोबारी ठीक से नहीं समझ सकते। क्यूसीओ के तहत आने वाले उत्पादों में वाटरप्रूफिंग के काम आने वाली लैमिनेटेड उच्च घनत्व वाली पॉलिथिलीन का उपयोग करने पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और कैद भी हो सकती है।

देश में वातानुकूलकों से लेकर रसोई के सामान और कपड़ों तक तमाम वस्तुओं के गुणवत्ता मानकीकरण का काम भारतीय मानक ब्यूरो के पास है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग मानक ब्यूरो के साथ मशविरा करने के बाद ही क्यूसीओ जारी करते हैं। इसके आदेश का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और कैद भी हो सकती है।

ऐसी भी खबरें हैं जो बताती हैं कि इस वर्ष इस सूची का और अधिक विस्तार होगा तथा क्यूसीओ में कुछ नए क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सूरत की कारोबारी भावना प्रभावित नहीं होगी। यह वह शहर है जो पहले रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध था और अब कपड़ों का बड़ा व्यावसायिक केंद्र बन चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सहारा दरवाजे से पुराना बंबई बाजार तक यहां के व्यस्त कपड़ा बाजार चुनावी मौसम में या उच्च अलगाव भी व्यस्त बने रहेंगे।

आपका पक्ष

चुनाव में भ्रामक खबरों पर कैसे लगे रोक

सोशल मीडिया ने बेशक आम लोगों को सवाल उठाने और जानकारी पाने का सशक्त मंच मुहैया कराया है। साथ ही भारत एक उभरती हुई डिजिटल ताकत है लेकिन इससे इतर सोशल मीडिया कंपनियों खबरों के कथानक और भरोसे को लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। फेक न्यूज का सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है, जिसमें मुख्य रूप से फेस बुक और व्हाट्सएप शामिल हैं। सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणाली में ऐसे फर्जी समाचारों की पहचान सुनिश्चित कर, उन पर रोक लगाने की तकनीकी व न्यायसंगत व्यवस्था करनी चाहिए। फेक न्यूज रोकने के लिए तेलंगाना की एक आईपीएस अधिकारी के जागरूकता अभियान का अनुसरण किया जाना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने 500 अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर प्रदेश के 400 गांवों में अपना अभियान चलाया है। अब गांव के



अहमदाबाद के एक शॉपिंग मॉल में लोक सभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया गया

लोगों ने इन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना शुरू कर दिया है जिससे वे कई व्हाट्सएप ग्रुप पर नजर रखती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल वॉलंटियर तैयार करने का जो फैसला किया है, वह भी कारगर हो

सकता है। इसके तहत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों को डिजिटल वॉलंटियर बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ साइबर अपराध और

इसकी रोकथाम के बारे में जनता को शिक्षित कर पुलिस की मदद करेंगे। सभी राजनीतिक दलों को भी सोशल मीडिया को संभालने के लिए वॉलंटियरों की अपनी-अपनी टीम तैयार कर फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। सुधीर कुमार सोमानी, देवास

कराधान की व्यापक दृष्टि लेख 'कराधान की दृष्टि से सही विचार नहीं' वर्तमान में संपत्ति और विरासत पर करारोपण पर सार्थक चर्चा करता है। विपक्षी दलों के विरासत पर कर लगाने के विचारों का राजनीतिक पटल और जनमानस में घोर विरोध हो रहा है और देर से ही सही जनता के विरोध को देखते हुए बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ भी इसका तार्किक विरोध करने लगे हैं। नतीजा यह

हुआ है कि विपक्षी दलों ने भी विषय की गंभीरता और जनमानस के विरोध को देखते हुए फिलहाल इस विमर्श को विराम दे दिया है। छह दशकों तक सरकार चलाने वाले दल यह क्यों नहीं समझ सके कि केंद्र सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व का 85 प्रतिशत तो राज्य सरकारों के जरिए आवंटित होता है और बाकी गरीब जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में जाता है। संक्षेप में करयोग्य आय वाले और समृद्ध वर्ग की आय का 25-30 प्रतिशत भाग तो पहले से ही गरीबों में बांटा जा रहा है तो फिर विरोध किस बात का है? विरासत में जमा पूंजी भी तो आयकर देने के बाद ही संचित होती है और व्यापारिक परिवारों में व्यापार में ही निवेशित रहती है तो बार बार उस पर कर लगाने की बात क्यों हो रही है? समृद्ध अर्थव्यवस्था में देश को वैश्व क्रियेटर्स चाहिए। इसलिए विरासत पर कर की बात सिरे से खारिज हो जानी चाहिए थी। विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया



फोटो - पीटीआई

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में शुक्रवार को एनएसजी कमांडो ने संसद की सुरक्षा की एक मांफ़िल की। इस अभ्यास के तहत सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टरों ने भी संसद भवन के ऊपर उड़ान भरी।




पाकिस्तान के बहाने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कांग्रेस पर हमले के अभियान में पाकिस्तान एक नया कनेक्शन है। हालांकि शुरुआती चुनाव से ही पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध खतरे के रूप में चिह्नित किया जाता रहा है। ताजा आरोप है कि पाकिस्तान 'शहजादे' यानी राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए बहुत उछल रहा है। यह 'चुनाव को प्रभावित करने' का एकरेखीय आरोप नहीं है, जैसा कि चीन-रूस के बारे में अमेरिका का होता है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की राहुल में दिलचस्पी के दुष्परिणामों को आंतरिक और बाह्य, दोनों स्तरों पर दिखाते हैं। इससे देश में इस्लामिक जेहाद-आतंकवाद जोर पकड़ेगा, राष्ट्रीय एकता-अखंडता खंडित होगी, सुरक्षा-व्यवस्था कमजोर पड़ेगी और नागरिकों को भ्रमना उड़ेगा। यह कांग्रेसी राज का दुर्भाग्यपूर्ण फिनोमिना रहा है। इससे भारत की चहुँदिस जारी वैश्विक प्रगति भी थप जाएगी। रिपोर्ट्स पर टिके मोदी के इस आकलन से शायद ही असहमति होगी। पाकिस्तान से दो-दो लड़ाइयाँ जीतने के बावजूद कांग्रेसी हुकूमत के बनिस्वत मोदी की सुरक्षा व्यवस्था निरसंदेश पुख्ता है-कश्मीर में आतंकवाद की छिटपुट वारदात के बावजूद। 'घर में घुस कर मारने' की बात अब चेतावनी नहीं होती। इसलिए दुश्मन में दहशत पैदा करती है। पर क्या पाकिस्तान वास्तव में इस हालत में

रह गया है कि वह आज के भारत को नुकसान पहुंचा सके? आतंक के मोर्चे पर यह आज भी सही है। इसलिए ही, पाकिस्तान आम भारतीयों में अलगाववाद और खून-खराबे के जेहाद का नाम है। इसका केवल चुनाव के समय ही नहीं, बाकी दिनों में भी किया गया उल्लेख अधिकतर भारतीयों के विचारों को ध्रुवीकृत कर देता है। ऐसे में इंडिया गेटबैक की सपा प्रयाशी की वो जेहाद की अपील, जो एक सांप्रदायिक विचारों की लामबंदी से है, बहुसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण कर सकती है। मोदी इन मुद्दों का फायदा उठाना चाहते हैं। आरक्षण और संविधान, जो चुनाव में अंडरकरंट मुद्दे हैं, उनमें भी मत-विभाजन का लाभ चाहते हैं। इस मामले में बैकफुट पर चल रहे मोदी को कांग्रेस पर हमले के नये तर्क मिल गए हैं। वे उसके अल्पसंख्यक-प्रेम को आंबेडारी कोटि की हकमारी बताते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इसकी वे कांग्रेस से लिखित गारंटी चाहते हैं। यह भय का वैयास ही तर्क है, जैसा कांग्रेस जनमानस में बिठा रही है कि 'मोदी आए तो लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण कुछ भी नहीं बचेगा।'

घातक आत्मग्लानि

कॉर्टक हाई कोर्ट ने 'जाओ फ्रांसी लगा लो' कहने को आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में रखने से मना कर दिया। अदालत आपत्तिजनक बयानों से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जटिलताओं को दूर करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी। तटीय कॉर्टक के उडुपी में गिरजाघर में पादरी की मौत के सिलसिले में हत्या के लिए उकसाने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर अदालत ने यह कहा। आरोप है कि पादरी और याचिकाकर्ता की पत्नी के दरम्यान दैहिक संबंध थे। दोनों के बीच हुई बहस में उसने पादरी को मरने के लिए कहा। एकल जज की पीठ ने सर्वोच्च अदालत के पूर्व निर्णयों के आधार पर कहा सिर्फ बयानों को उकसाने वाला नहीं माना जा सकता। अदालत ने पिता और पादरी होने के बावजूद मानव मन की जटिलताओं का जिक्र करते हुए



मामले को खारिज कर दिया। जजिम्येदार और धार्मिक पद पर होने के बावजूद सामाजिक मूल्यों का अनादर करने वाला शख्स आत्मग्लानि के चलते भी जिंदगी समाप्त कर सकता है। अपने समाज में साल दर साल आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल ब्रह्म रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार सिर्फ एक साल (2022) में प्रति दिन 468 लोगों ने अपनी जान ली। खुद की जान लेने वालों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर सामाजिक-पारिवारिक कारणों से लोग

खुदकुशी कर लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अपनी जिंदगी से उकता कर, निराश होकर या आवेश में आत्महत्या करने वाले भी मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होते हैं, जिसके संकेत वे लगातार अपने करीबियों, परिवार या मित्रों को देते रहते हैं, जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक प्रताड़ना, उलाहनों, उत्पीड़न और दोष भरे जाने से आजिज आकर भी लोग अपनी जान ले लेते हैं। मगर इस मामले में केवल कहसुनी के दौरान मरने का ताना देना ही काफी नहीं कहा जा सकता। आत्म-ग्लानि भरे उपासकों के पाप-स्वीकरण सुनने वालों के प्रति आम जन जो सम्मान का भाव रखता है, उसका दुष्प्रतिरोध, सामाजिक तौर पर अस्वीकृत और तिश्कृत होता है। इसी सब से भयभीत होकर मृतक को यह कदम उठाना पड़ा होगा।

कटाक्ष/ कबीरदास

में टिकट नहीं छीनने दूंगा!

साक्षी मलिक की यह बात तो बिल्कुल गलत है। अब उसका ब्रजभूषण शरण सिंह से खुदक खाना तो फिर भी समझ में आता था। आखिर, देश के कुश्ती के बॉस थे और नीचे वालों में कुछ पर बॉस की कृपा बरसती है, तो कुछ से खटपट हो ही जाती है। पर बेचारे ब्रजभूषण ने उनका क्या विगाड़ा है? मोदी जी के उसको कैसरगंज से अपनी पार्टी का टिकट देने के पीछे क्यों पड़े गये? कहती हैं कि ब्रजभूषण जीत गया, भारत की बेटियाँ हार गईं! कैसे भाई कैसे? ब्रजभूषण का तो टिकट कट गया, वह भी भारत की बेटियों के ही चक्कर में? उसे सिर्फ इसलिए जीता बताया जा रहा है कि करण भूषण, ब्रजभूषण का बेटा है? बाप का टिकट मोदी जी बेटे को नहीं देते तो क्या बाप के दुश्मनों को देते? मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ जरूर हैं और पक्के खिलाफ हैं, लेकिन अपना नफा-नुकसान देखकर।

वैसे भी मोदी जी परिवारवाद के जितने बड़े विरोधी हैं, उससे बड़े विरोधी विरासत कर के हैं। बाकायदा ऐलान कर के कह दिया है कि जब तक मोदी जीवा है, विरासत कर के नाम पर इंडी एलाइंस वालों को पकस परसेंट नहीं छीनने देते। आधी जमीन नहीं छीनने देते। पर में चार कम्मरे हों तो दो कमरे नहीं छीनने देते। दो भैंसें भी हूँ तो एक भैंस नहीं छीनने देते। वैसे कांग्रेसी तो पचास परसेंट पर भी कहां रुकने वाले हैं, वो तो पूरा का पूरा छीन लेंगे, चाहे मंगलसूत्र हों, औरतों का गहना-जेवर हो या बाजरे में दबी नकदी हो। और नौकरी भी। बाकी छोड़ो अब तो ये कुर्सी का टिकट भी छीनने पर आ गए हैं। कहते हैं बाप का टिकट, बेटे को ही क्यों मिलेगा, हम इसे अपने तुष्टीकरण वाले वोट बैंक को देते। पर जब तक मोदी जीवा है, ऐसा कानून नहीं बनने देते। बाप का टिकट बेटे को ही मिलेगा, जिंदगी के बाद भी और मजबूरी ही हो जाए तो बाप की जिंदगी के साथ भी।

साक्षी को तो मोदी जी को थैंक यू कहना चाहिए कि उनकी बात मान कर ब्रजभूषण जी का टिकट काट दिया। वरना प्रचलन रेवना की तरह मोदी जी टिकट भी दिला देते और उनके लिए प्रचार करने चले जाते, तो भी वो क्या कर लेतीं? एक ओलंपिक पुरस्कार जीत आने का मतलब यह थोड़े ही है कि मोदी जी उनकी हर बात मान ही लेंगे।

अनमोल वचन

सुंदर स्त्री हीरा हैं, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है।
-सादी

भारत की आर्थिक छलांग

दिनांक 1 मई, 2024 को अप्रैल, 2024 माह में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण से संबंधित जानकारी जारी की गई है। यह अप्रैल 2024 के दौरान जीएसटी का संग्रहण पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निश्चित ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। वित्त वर्ष 2022 में जीएसटी का औसत कुल मासिक संग्रहण 1.20 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 1.50 लाख करोड़ हो गया एवं वित्त वर्ष 2024 में 1.70 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया।

मेट्रो नेटवर्क है। भारत ने स्टार्टअप विकसित करने के उद्देश्य से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर लिया है। भारत का स्टॉक बाजार, पूंजीकरण के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व में पेटेंट के लिए आवेदन किए जाने वाले देशों में भारत छठे स्थान पर आ गया है। 10 वर्षों के दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को अपार सफलता

सकल राष्ट्रीय आय में पिछले 12 महीनों के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। एक सर्वे के अनुसार, आज भारत में 36 प्रतिशत कंपनियां आगामी 3 माह में नई भर्तियाँ करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, इससे में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। गरीब वर्ग को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।



हासिल हुई है और संसेक्स ने 200 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है। निफ्टी ने भी इसी अवधि में 206 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की। यह स्थानीय एवं विदेशी निवेशकों का बिजली ग्रिड है। बैंकिंग क्षेत्र में वास्तविक समय लेन देन की सबसे बड़ी संख्या आज भारत में ही संघन हो रही है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है एवं विश्व में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। मात्रा की दृष्टि से भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उद्योग है। भारत में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा

जल जीवन मिशन ने पूरे भारत में 75 प्रतिशत से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करके मील का पत्थर हासिल कर लिया है। लगभग 4 वर्षों के भीतर मिशन ने 2019 में प्राणिक नल कनेक्शन कवरेज की 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 14.50 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा दिया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 2.8 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल एवं अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।

सामयिक प्रह्लाद सबनानी



कहा जा सकता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व में चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है एवं अपनी विकास दर को 10 प्रतिशत के ऊपर ले जाने के भरसक प्रयास कर रहा है। निश्चित ही भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी एवं 2027 तक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगी। आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण हो रहा है

सकल राष्ट्रीय आय में पिछले 12 महीनों के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। एक सर्वे के अनुसार, आज भारत में 36 प्रतिशत कंपनियां आगामी 3 माह में नई भर्तियाँ करने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं, इससे में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। गरीब वर्ग को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज के मासिक वितरण से 80 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएम उज्ज्वल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। ये महिलाएं पहले लकड़ी जलाकर भोजन सामग्री तैयार कर पाती थीं और अपनी आंखों को खराब होते हुए देखती थीं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 12 करोड़ से खोले जाने वाले डीमेट्रिक खातों की महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा को कायम रखा जा सका है। जन धन खाता योजना के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक खाते खोलकर नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। देश भर में 11,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो 50-90 प्रतिशत रियायती दवाएं पर आवश्यक दवाएं प्रदान कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व में चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है एवं अपनी विकास दर को 10 प्रतिशत के ऊपर ले जाने के भरसक प्रयास कर रहा है। इससे निश्चित ही भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी एवं इसके बाद 2027 तक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगी।

कहा जा सकता है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व में चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रहा है एवं अपनी विकास दर को 10 प्रतिशत के ऊपर ले जाने के भरसक प्रयास कर रहा है। निश्चित ही भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी एवं 2027 तक विकसित राष्ट्र भी बन जाएगी। आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण हो रहा है

शाश्वत प्रेम संत राजिन्दर लोग




एसा प्रेम नहीं चाहते जो क्षणभंगुर हो। वे एक सरसरी नजर या अल्पकालीन मिलन नहीं चाहते। वे एक शाश्वत दुष्टि, एक शाश्वत मिलन चाहते हैं- अपने प्रियतम के साथ एकमेव होने की शाश्वत अवस्था में रहना चाहते हैं। इस भौतिक संसार के सबसे उत्तम और करीबी रिश्ते ही अंततः खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार का नियम ही ऐसा है। हमारे भौतिक स्वप्न का अंत होना सुनिश्चित है। जब हम जीवन की अनिश्चितता के बारे में जानते हैं, तो हम एक ऐसा प्रेम चाहते हैं जो अनश्वर हो। उसे हम प्रभु रूपी शाश्वत प्रेम के महासागर में तैर कर पा सकते हैं। प्रभु का प्रेम नश्वर नहीं होता। जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, तो हम एक ऐसे प्रियतम से प्रेम करने लगते हैं, जो मृत्यु के द्वार के परे भी हमारे साथ रहता है। जब हम प्रभु के निर्मल, पवित्र महासागर में तैरते हैं तो हम अपने सच्चे स्वप्न का, अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख पाते हैं। वहां उसको दृष्टि करने वाली कोई मूल या गंदगी नहीं होती। बिना किसी ऐसी वस्तु के जो हमारे ध्यान को भंग करे, हम महासागर की गहराई में झंक पाते हैं। उसकी प्रेमयुगी लहरें हमसे टकराती रहती हैं। यहां हमारी शांति को भंग करने वाला कोई भौतिक आकर्षण नहीं होता। क्षणिक सांसारिक सुखों की बजाय हम प्रभु के शाश्वत प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। जब हम प्रभु के महासागर में तैरते हैं, तो हम दिव्य आह्लाद का अनुभव करते हैं। हमारे अंतर में दिव्य जल का आह्लादकारी सरोवर सदैव विद्यमान रहता है। हम किसी भी समय इंसान दुबकी लगा सकते हैं। जब हम इस सरोवर में जाते हैं, तो हम समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम पूर्णतया तनावरहित हो जाते हैं। हमारे मन और आत्मा में परमानंद समा जाता है। जब हमारी आत्मा इसमें इस अंतरिक 'रम्य' में स्नान करती है, तो शांति से भरपूर हो जाती है। जब हमारी आत्मा शांत होती है, तो हमारा मन और शरीर भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। जब हम प्रभु के साथ तैरते हैं, हम में दुनियावी भोगों की कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमें संतुष्ट कर देता है। जब हम प्रभु के साथ तैरते हैं, तो जो आह्लाद हमारी आत्मा में रम जाता है, वह किसी भी दुनियावी संतुष्टि से हजारों गुणा अधिक होता है। जब हम प्रभु के साथ तैरते हैं, तो शांति से भरपूर हो जाते हैं।

रीडर्स मेल मिले सख्त सजा

भारतीय संस्कृति-सभ्यता के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का धार्मिक-पौराणिक महत्त्व माना गया है, परंतु वर्तमान दौर में महाकाल नगरी उज्जैन के एक आश्रम में हुई घटना से इस पर स्वालिया निशान लग गया है। खबर के मुताबिक बड़नगर मार्ग एक आश्रम में संचालित गुरुकुल में 3 बच्चों का यौन शोषण किया गया। इस घटना ने आश्रम की गरिमा को तो धूलिफ किया ही, साथ ही संस्कृति पर भी कुठाराघात किया। आचार्य और सेवादाता के धिनोने कृत्य से आश्रम व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर विश्वास उठ जाता है। रक्षक ही भक्षक बन गए। पूरे प्रकरण की जांच-पड़ताल कर दोषियों को सख्त-से-सख्त सजा दी जाए। अपराध की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए संचालित आश्रमों की जांच-पड़ताल को जाए ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटना न घटे। बच्चों को इसका मिले इसके लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

यदि कनाडा सिख उग्रवाद का विश्व में बड़ा केंद्र बन गया है, तो भारत को भी अपने सर कुछ दोष लेना होगा। इसने 1985 में एअर इंडिया के विमान में बमवारी को लेकर कनाडा को नहीं धेरा। इस घटना में 329 लोगों को जान से हाथ धोने पड़े थे। हालांकि बाद में कनाडा में दो अलग-अलग जांचों में पाया गया कि यह कृत्य कनाडा स्थित सिख उग्रवादियों का था।
ब्रतम चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney



पांपुलेशन डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहा दक्षिण एशिया

दक्षिण एशिया अभी अपने पांपुलेशन डिविडेंड (जनसांख्यिकी लाभ) का पूरा लाभ उठाने में विफल है। वह मौका गवा रहा है।
वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांजिस्का ओहनसोरो के मुताबिक, यदि यह क्षेत्र अन्य उभरते बाजारों और विकासशील इकाइयों की तरह कामकाजी उम्र वाली आबादी के बड़े हिस्से को सक्रिय श्रम में जुटाने में सफल रहता है, तो इसकी उत्पादन क्षमता 16 फीसद बढ़ सकती है
(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

विद्रोही कामरेड हमारी यादों में



कामरेड अतुल अनजन नहीं रहे। शुकुवार सुबह लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रहे अतुल अनजन ने अंतिम सांस ली। उनका पूरा जीवन ही सार्वजनिक था, जिसमें निजी जैसा कुछ भी नहीं था। हमारी पीढ़ी के लिए वह राजनीति, संविधान, जन संस्कार, सामाजिक मुद्दों सहित देश-दुनिया के विभिन्न मसलों, जिनका असर आम जनता पर पड़ सकता है, सभी विषयों के लिए इनसाइक्लोपीडिया थे। वामपंथी राजनीति के व बड़े चेहरे थे। लेफ्ट यूनिटी के लिए पूरी प्रतिबद्धता होने के बाद ही अतुल अनजन समाजवादी, कांग्रेसी सहित उन सभी समूहों, जिनका भरोसा आपसी सौहार्द एवं उपेक्षितों/किसानों के प्रति रहता था, से संवाद करने में नहीं हिचकते थे।

थी। 2019 में दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में 12-13 जुलाई को आयोजित समाजवादी समागम में उन्होंने राजनीति में विचार और जनाधार, दोनों को बचाने के लिए समाजवादियों से आह्वान किया था। इस उपलक्ष्य में विमोचित समाजवादी विचार समग्र पुस्तक में प्रकाशित मरे लेख, समाजवादी सोच के प्रति नई पीढ़ी की चिंता को लेकर मंच से खूब सराहना की और आयोजन में मेरे वक्तव्य से प्रभावित होकर सचेत किया था कि समाजवादी विचारधारा को नवीन प्रयोगों से सक्रिय किए रहना। लखनऊ विश्वविद्यालय के लोकप्रिय छात्र संघ अध्यक्ष रहे अतुल अनजन आजोवन छात्र आंदोलन के



स्मृति शेष जेपी मूवमेंट वाली पीढ़ी और नये छात्र/नौजवानों में सम्मन्यकारी भूमिका में रहते थे। 2018 में लखनऊ विश्वविद्यालय के आंदोलनरत छात्रों के जेल जाने पर मीसा बंदि एवं लोकतंत्र रक्षक सेनानी, सत्तर के दशक में मेरठ कॉलेज की छात्र राजनीति से निकले पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी की पहल पर प्रो. रमेश दीक्षित (लखनऊ

हम लोगों का उनसे परिचय आज के बीस वर्ष पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुआ था। प्रो. बनवारी लाल शर्मा के संयोजन में आजादी बनाओ आंदोलन में सक्रिय रहते हुए हम लोगों ने उनके कई कार्यक्रम कराए जिनमें उन्हें करीब से सुनना हुआ था। उस समय सेज (स्पेशल इकनॉमिक जोन) के खिलाफ अतुल अनजन के किसानों के समर्थन में दिए गए वक्तव्य की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा थी। जनजातीय क्षेत्रों में मानवाधिकारों के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। वामपंथी राजनीति को परसंद न करने वाले लोग भी उनका भाषण सुनने दूर-दूर से आते थे। दिल्ली स्थित मावलरंग हाल, कॉस्टीट्यूशन क्लब, तीमा मूर्ति लाइब्रेरी में शहीदे आजम भगत सिंह, सामयिक मुद्दों पर कामरेड एबी वर्धन के साथ अतुल अनजन की उपस्थिति हर बार एक नया विमर्श पैदा करती

वैक्सिन की चिंता

जब कोरोना वैक्सिन को लेकर शिकायतों और चर्चा का माहौल गरम है, तब पूरी सतर्कता के साथ विचार करने की जरूरत है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जब से यह माना है कि उसके द्वारा निर्मित वैक्सिन को विशील्ड की वजह से विरल मामलों में कुछ लोगों को नुकसान की आशंका है, तब से पूरा टीकाकरण अभियान ही सवालों के घेरे में है। लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं और अपने-अपने नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को अनेक मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है और सजा के तौर पर उसे बड़े पैमाने पर मुआवजा चुकाने की भी जरूरत पड़ सकती है। खैर, मुकदमे और मुआवजे अपनी जगह हैं, पर लोगों में मन में जो शंकाएं घर कर गई हैं, उन पर सावधानी से सोचने की जरूरत है। लगभग सभी चिकित्सकों का यही मानना है कि टीका लेने के बाद चालीस दिन में साइड इफेक्ट सामने आ जाते हैं, पर जब टीका लगे दो साल से ज्यादा समय बीत चुका है, तब साइड इफेक्ट की चर्चा का बहुत महत्व नहीं है।

वैसे, साइड इफेक्ट को साबित करने का काम आसान नहीं है। हमने यह देखा है कि महामारी ने उन लोगों को ज्यादा परेशान किया था, जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। ऐसे लोगों को टीका लेते समय भी सावधान रहने के लिए कहा गया था, उम्र या वर्ग के हिसाब से धीरे-धीरे लोगों को टीके दिए गए थे। टीका देते समय और उसके टीके बाद तात्कालिक रूप से लोगों की निगरानी भी की गई थी। अतः भारत में साइड इफेक्ट की शिकायत अगर सामने आई है, तो उसका पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। फिलहाल यह मुद्दा चुनाव में भी गरम है, पर यह आगामी केंद्र सरकार के लिए एक गंभीर विषय होना चाहिए। चिकित्सकों की संस्था को गोपनीयता बरतते हुए वैक्सिन के दुष्प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए। भारत में किसी बड़ी दवा कंपनी के खिलाफ खुले रूप में जांच करना असहज स्थिति पैदा कर सकता है। दरअसल, यह शिकायत

आम लोगों का विषय नहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का विषय है। आम लोगों की शंकाओं को भी तभी दूर किया जा सकता है, जब शिकायतों का विशेषज्ञता के साथ अध्ययन किया जाए। यह अच्छी बात है कि एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सिन के संभावित दुर्लभ दुष्प्रभावों की रिपोर्ट के बीच 'कोवैक्सिन' विकसित करने वाले संस्थान भारत बायोटेक ने बयान में कहा है कि कोवैक्सिन का पूरी तरह से परीक्षण किया गया था। कोविशील्ड और कोवैक्सिन का ही भारत में सर्वाधिक उपयोग हुआ था। मतलब, फिलहाल कोविशील्ड लेने वाले चिंता में हैं, जबकि कोवैक्सिन लेने वाले थोड़े आश्चर्य हैं।

वास्तव में, एस्ट्राजेनेका को विशेष तौर पर लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए। उसकी वजह से कई देशों में करोड़ों लोग शंकाग्रस्त हैं। भारत सरकार को भी ब्रिटेन में चल रहे मुकदमों पर नजर रखनी चाहिए। अगर एस्ट्राजेनेका की गलती सामने आती है, तो भारत को भी अपने हिसाब से इस कंपनी से निजता होगा। यह एक ऐसा मामला है, जो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाता है। किसी भी दवा को लेने की स्थिति में दुष्प्रभावों को लेकर हमें सजग होना चाहिए। पश्चिम में लोग अपनी शारीरिक या स्वास्थ्य पैमानों को लेकर जागरूक हैं, तभी वे दवा कंपनियों या अस्पतालों को गलती होने पर कठघरे में खड़ा कर पाते हैं। लोगों को सजग होना चाहिए, ताकि चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 4 मई, 1949

बड़ौदा का विलय

बड़ौदा रियासत की गणना भारत की प्रमुख रियासतों में होती रही है। दूसरी रियासतों की तुलना में वह प्रगतिशील रियासत थी। उसके आर्थिक साधन भी इतने थे कि वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। आज से कुछ महीने पहले कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि बड़ौदा का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। किन्तु आज से करीब दो महीने पहले जब सरदार पटेल ने बड़ौदा की यात्रा की थी, तो लोगों ने आश्चर्य के साथ सुना कि बड़ौदा रियासत बम्बई प्रान्त में मिलने जा रही है। सरदार पटेल भारत का नया नक्शा तैयार कर रहे हैं। उस नक्शे में बड़ौदा रियासत के लिए कोई अलग स्थान नहीं था। अतः उन्होंने महाराजा को यह सलाह दी कि वह बड़ौदा को बम्बई प्रान्त में मिला दें। इसके कुछ ही दिनों बाद अधिकृत तौर पर यह घोषित कर दिया गया कि महाराजा ने सरदार पटेल की सलाह के अनुसार बड़ौदा को बम्बई में मिलाना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार बड़ौदा को बम्बई में विलय करने का निर्णय दो मास पूर्व ही हो गया था, किन्तु वास्तव में विलय अब इस महीने की १ तारीख को हुआ है। यह बीच का समय विलीनीकरण के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए आवश्यक था।

बड़ौदा रियासत का विलय भारत के आधुनिक इतिहास की बड़ी घटना है। इस कदम को उठाने के लिए असाधारण साहस की आवश्यकता थी। केवल सरदार पटेल की इच्छामात्र से यह संभव नहीं हो सकता था। सरदार को मालूम था कि बड़ौदा की प्रजा भी वही चाहती है जो वह खुद चाहते हैं। अतः उनका आत्म-विश्वास दुगुना हो गया था। आखिर बड़ौदा रियासत के लोगों और समीपस्थ बम्बई प्रान्त के लोगों में अन्तर ही कहाँ है? दोनों की भाषा तथा रहन-सहन एक है और दोनों सामाजिक संबंधों में जकड़े हुए हैं। ऐतिहासिक संयोगों ने उनको भिन्न शासन व्यवस्थाओं के अधीन रख दिया था। भौगोलिक दृष्टि से बड़ौदा रियासत इस तरह बम्बई प्रान्त के इलाकों के साथ गुंथी हुई है कि शासन की यह विभिन्नता बड़ी कष्टदायक थी। यदि इस प्रश्न पर कभी जनमत भी लिया जाता तो यही नतीजा आता कि बड़ौदा रियासत के लोग बम्बई प्रान्त के साथ मिलना चाहते हैं।

मुस्लिमों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए



मुहम्मद इस्माइल साहिब | संविधान सभा सदस्य

मैं तो यही चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों तथा उनके लिए आरक्षण के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाए, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रश्न भी शामिल है, जो इस प्रश्न का अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्वाभाविक भाग है।... श्रीमान, मेरा दावा है और मैं निश्चितरूपेण कहता हूँ कि मुसलमान, समूचा संप्रदाय, आरक्षण छोड़ने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, वे इस सभा से प्रार्थना करते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडलों को रखा जाए, क्योंकि इसी से उन्हें विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। मुस्लिम लीग ने, जो अब भी मुस्लिम संप्रदाय की प्रतिनिधि संस्था है, इसी वर्ष एकाधिक बार आरक्षण के पक्ष में निश्चित विचार प्रकट किए हैं।... अब यदि बहुसंख्यक जाति या शासनारूढ़ दल इन संरक्षणों को हटाना चाहता है, तो यह दूसरी बात है, किंतु मेरा निवेदन है कि अल्पसंख्यकों के कंधों पर इन संरक्षणों को हटाने का उत्तरदायित्व डालना उचित नहीं है।...

जब हम कहते हैं कि एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। दोनों में अंतर है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे एक-दूसरे का गला काटने के लिए दौड़ पड़ें। इस अंतर को ठीक करना है और वह ठीक हो सकता है। हम सामंजस्य ही चाहते हैं, भौतिक एकता या कठोर समन्वय नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी देश की जनसंख्या में एक ही धर्म के उपासक हों। ...सामंजस्य तभी संभव है, जब सभी वर्ग संतुष्ट हों, खुश हों। यदि वे देखें कि उन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं, उन्हें तंग नहीं किया जा रहा, उनकी सुनी जाती है तथा उनके साथ मनुष्यों सा व्यवहार होता है, तो शांति स्वयं हो जाएगी।...

यूरोप के देशों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, पोलैंड, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, अलबानिया, यूनाइन, तुर्की आदि देश में ऐसा किया गया है। ...अलबानिया में, उस छोटे से देश में, केवल 10 लाख जनसंख्या वाले देश में, ...उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकार कर

इस चुनाव नहीं गूंज रहे मतदाताओं को छूने वाले नारे



विवेक शुक्ला | वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा चुनाव के दो चरण संपन्न हो चुके हैं, पर अभी तक कोई खास नारा फिजों में नहीं गूंज रहा। नारों के बिना चुनाव बिना छैंक के दाल जैसे लगते हैं, इसलिए नारे होंगे, तो चुनाव को लुप्त भी बढेगा। पहले इन नारों को पह लीजिए- *जात पर पात पर, इंदिया जी की बात पर, मोहर लगगी हाथ पर; सबको देखा बारी-बारी, अबकी बारी अटल बिहारी; कांग्रेस लाओ, गरीबी हटाओ; इंडिया शांतिमय; अबकी बार, मोदी सरकार।* एक दौर में ये सभी नारे देश के स्तर पर पसंद किए गए थे। कुछ नारे चुनावों के समय नहीं उछले हुए, पर उनका राष्ट्रीय महत्व था। जैसे, *आराम हराम है; जय जवान, जय किसान; जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान; मेक इन इंडिया; सबका साथ, सबका विकास।* जम्मूरियत की जान होते हैं नारे। ये माहौल बनाते हैं। इनसे मतदाता खास दल के साथ जुड़ते हैं।

मनसा वाचा कर्मणा

पागलपन का कुआं

एक राज्य में बहुत ताकतवर जादूगर था। किसी बात से खफा होकर वह पूरे राज्य को नष्ट कर देना चाहता था। एक रात राजधानी के सभी सामुदायिक कुआं में उसने ऐसी औषधि डाल दी कि कोई भी उनका पानी पिए, वही बैरा जाए। अगली सुबह राजधानी के सारे लोग पगला गए, क्योंकि पीने के पानी का एकमात्र स्रोत वे कुएं ही थे। सिर्फ राजा और उसका परिवार ही बच सका, क्योंकि उनका कुआं महल के भीतर था और उसका पानी सिर्फ राज परिवार के लिए आरक्षित था। जादूगर की उस कुएं तक पहुंच नहीं बन पाई थी। राजा के आगे भारी समस्या खड़ी हो गई। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित एक के बाद एक निर्देश उसने जारी

लिया है। वहां भी उन्हें आशंका नहीं है कि पृथक निर्वाचक मंडल से देश और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। ...हमारे देश में जो स्थितियां हैं, पृथक निर्वाचक मंडलों से ही अल्पसंख्यकों को संतोष हो सकता है और इसी से वे अन्य जातियों के साथ समानता का पद प्राप्त कर सकते हैं। ...पहले तो हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। यह कहा जाता है और स्वतंत्र रूप से कहा जाता है कि पृथक निर्वाचक मंडलों की पद्धति का अंग्रेजों ने लोगों में फूट डालने और उन पर अपना साम्राज्य अटल बनाने के लिए ही आविष्कार किया था, किंतु इस समय विदेशी यहां नहीं हैं। अब हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लोगों को ...अधिकार मिले, तभी यह संभव है कि उन लोगों के सच्चे प्रतिनिधि जाकर सरकार के समक्ष या विधानमंडल में या बहुसंख्यक संप्रदाय के समक्ष अपने विचार प्रकट कर सकें।...

अल्पसंख्यक संप्रदाय के लिए सदा बहुसंख्यक जाति की अप्रसन्नता या आलोचना सहना कोई खेल नहीं है। वे भी उतनी ही शांति से रहना चाहते हैं, जितना कि जनता का कोई वर्ग चाहता है, किंतु फिर वे इस आरक्षण पद्धति पर और पृथक निर्वाचक मंडलों की पद्धति पर तथा स्थानों के आरक्षण पर क्यों हठ ठानते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल इसी प्रकार वे अन्य लोगों के पास जा सकते हैं...। मैं इस मामले पर कोई विवाद नहीं उठाना चाहता। मैं तो शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ और सदा शांति और समन्वय के लिए ही प्रयत्नशील रहा हूँ।...इस विषय में मैं अपने संप्रदाय के गुणों का ही प्रतिबिंब हूँ। मेरा संप्रदाय देश में शांति और समृद्धि चाहता है; वह देश में समन्वय चाहता है। ...अपनी शिकायतें पेश करने का मूलाधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वे इस देश के सुख, शक्ति और सम्मान के लिए अपना अधिकतम अंशदान कर सकें...। (संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन से)

अगर मिला आरक्षण तो बड़ जाएंगी दूरियां



बेगम ऐजाज रसूल | संविधान सभा सदस्य

माननीय सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिए आई हूँ। श्रीमान, मुझे खेद है कि मुझे मद्रास के मुहम्मद इस्माइल के संशोधन का विरोध करना पड़ता है। उनके संशोधन का सारांश यह है कि पृथक निर्वाचक मंडलों को रहने दिया जाए। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आरंभ से ही यह समझती हूँ कि ...पृथक निर्वाचक मंडलों का कोई स्थान नहीं है। अतः संयुक्त निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के लिए स्थान रक्षण मुझे व्यर्थ और अर्थहीन दिखाता है। जो अभ्यर्थी हिंदुओं और मुस्लिमों के संयुक्त मतों से चुना जाए, वह सम्भवतः केवल मुसलमानों के ही दृष्टिकोण को पेश नहीं कर सकता और इसलिए यह स्थान रक्षण सर्वथा तथ्यहीन है। मेरे विचार में आरक्षण एक आत्मघाती शस्त्र है, जो सदा के लिए अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से दूर कर देता है। यह अल्पसंख्यकों को कोई अवसर ही नहीं देता कि वे बहुसंख्यकों की सद्भावना प्राप्त कर सकें। इससे पार्थक्य और संप्रदायवाद की भावना बनी रहती है, जिसे एक ही बार सदा के लिए मिट देना चाहिए। यह रक्षण केवल दस वर्षों के लिए था और मेरे विचार में हमारे देश के जीवन में वे दस वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं और संप्रदायों में मेल कमाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए।

यही एक आधार है, जिस पर कि मैं माननीय सरदार पटेल के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। मेरे समर्थन करने का दूसरा कारण यह है कि अभी तक भारत के संप्रदायों में अलगाव की भावना पाई जाती है। यह मिट जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि यह अल्पसंख्यकों के हित में है कि वे बहुसंख्यक जाति में विलीन होने का प्रयत्न करें। इससे अल्पसंख्यकों को हानि नहीं होने वाली है। मैं उन्हें यह विश्वास दिला देती हूँ, क्योंकि आगे चलकर यह उन्हीं के हित में है कि वे बहुसंख्यकों की सद्भावना

जम्मूरियत की जान होते हैं नारे। ये माहौल बनाते हैं। इनसे मतदाता किसी खास दल के साथ जुड़ते हैं। हालांकि, कुछ नारे चुनावों के समय नहीं उछले गए, लेकिन उनका राष्ट्रीय महत्व रहा।

देश में सहानुभूति लहर पैदा कर दी थी और कांग्रेस को विराट जीत हासिल हुई। इसी तरह, 1991 के चुनाव में राजीव गांधी की हत्या के बाद *राजीव तेरा ये बलिदान, याद करेगा हिन्दुस्तान* खूब गूंजा और इसका साफ असर उभरा, शक्ति डाला गया।

आपातकाल के बाद आम चुनावों में नारों का खासा जोर रहा। इस दौरान *सन सहतरत की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार; संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है; फांसी का फंदा टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा* जैसे नारे खूब चले। तब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कालजयी पंक्तियां जयप्रकाश नारायण की क्रांति का नारा बनी थीं- *संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है।* अरविंद केजरीवाल की पार्टी बेशक आम आदमी पर

प्राप्त करें। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम अपने आपको पूर्ण रूप से बहुसंख्यक संप्रदाय की सद्भावना पर छोड़ दें, अलगाव की भावनाओं को त्याग दें और सच्चा लौकिक राज्य बनाने में अपना पूरा बल लगा दें।

श्रीमान, मैं पिछले दो वर्षों की घटनाओं के इतिहास को नहीं लूंगी। वह बहुत दुःखद इतिहास है और कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें इस देश के रहने वाले मुसलमानों को सबसे अधिक दुःख उठाना पड़ा है। केवल उनके जीवन और संपत्ति ही जोखिम में नहीं रहे हैं और असुरक्षित नहीं रहे हैं, बल्कि उनका सम्मान ही जोखिम में पड़ गया और उनकी वफादारी पर ही संदेह किया जाने लगा। इससे उन्हें बहुत निराशा और मानसिक चिंता रही है। हम भूत को भुला देना चाहते हैं और हम यह चाहते हैं कि एक नया अध्याय आरंभ करना चाहिए, जिससे इस देश में रहने वाले समस्त सम्प्रदाय सुख और सुरक्षापूर्वक रह सकें। मुस्लिमों के दिमाग में कुछ आशंका है कि स्थान आरक्षण हट जाने के बाद वे अपनी जनसंख्या के अनुपात से विधान मंडलों में स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार में यह आशंका निर्मूल है, क्योंकि मेरे विचार में जब हम बहुसंख्यक संप्रदाय के सम्मान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वे अपनी साख और सम्मान बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक संप्रदाय के सदस्यों को केवल उनकी जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, बरन शायद अधिक संख्या में चुनेंगे। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि भविष्य में कोई राजनीतिक दल मुसलमानों की अबहेलना करके अपने प्रत्याशी खड़े कर सकता है। मुसलमान इस देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े अंग हैं। मैं नहीं समझती कि कोई राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा कर सकता है...। हम अपने आरक्षणों का त्याग कर दें और बहुसंख्यकों को यह दिखा दें कि हमें उनमें पूरा विश्वास है। (संविधान सभा में दिए गए उद्बोधन से)



एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

गाजा में सामूहिक कब्रों की खबर चिंताजनक है। निष्पक्ष जांचकर्ताओं को उन तक पहुंचने की अनुमति तत्काल दी जानी चाहिए। दुनिया को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने का अधिकार है।


बड़ी चालाकी से छिपा रहे हैं कि अब तक संविधान में सैकड़ों बार संशोधन हो चुका है। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान तो संविधान का मूल चरित्र ही बदल दिया गया था। यहां तक कि इसकी प्रस्तावना में भी, जिसे बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, बदलाव कर दिया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'हालांकि, हम इस संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं, जितना कि हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है।... यदि आप इसे अपरिवर्तनीय और स्थायी बना देंगे, तो राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे'। आज संविधान में बदलाव का विरोध वही लोग और दल कर रहे हैं, जो राष्ट्र की प्रगति को रोकना चाहते हैं। वे जीवंत और संगठित राष्ट्र की परिकल्पना के विरोधी हैं।

सोचिए, संविधान में संशोधन नहीं होता, तो पिछड़ों को अपना अधिकार मिल पाता? दलितों को उनका हक मिलता? संविधान को उचित सम्मान मिलता? संविधान में संशोधन नहीं होता, तो जम्मू-कश्मीर को अपना हक नहीं मिलता, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी अमानवीय प्रथा से मुक्ति नहीं मिलती या महिला आरक्षण की यह सुनिश्चित नहीं होती। संविधान का अर्थ है, सबके लिए समान विधान, यानी सबके लिए समान नियम और कानून। संविधान बनाने का डर वही दिखा रहे हैं, जो भारत में हर जाति और मजहब के लिए अलग विधान चाहते हैं। वे 'पर्सनल' कानून के हिमायती हैं और मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखना चाहते हैं, ताकि भारत कभी एक सशक्त राष्ट्र न बन सके। हमें ऐसे लोगों को पश्चानकर उनको बेपरदा करना है।

आशा विनय सिंह बेस, टिप्पणीकार



अनुलम-विलोम भारतीय संविधान




इसकी अहमियत समाझिए। इसीलिए जब कहा जा रहा है कि इसे बचाना है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए। संविधान नहीं रहेगा, तो सिर्फ आरक्षण नहीं जाएगा, बल्कि बहुत कुछ जाएगा और नया क्या आएगा, आपको और हमें नहीं पता? इन संविधान के न होने पर पता नहीं यह फरमान भी जारी हो जाए कि हर दवा पहला परीक्षण प्रत्येक परिवार के एक सदस्य पर होगा और आप देखते ही देखते अचूक की जगह ले लेंगे। संविधान है, इसलिए यह मनमानी तो नहीं हो सकती है। लिहाजा, देश के संविधान का सम्मान कीजिए। इसके प्रति संवेदनशील बनिए। जब कोई कहे कि इसे हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, तो सतर्क हो जाइए। यही उस नागरिक का धर्म है, जिसे संविधान ने एक मामूली ईंसान से नागरिक बनाया है।

हकीम किवद्वई, टिप्पणीकार

संविधान हर एक नागरिक की ताकत

अगर कोई आपको पकड़कर कहे कि चलो, उन्हें अमुक नेता को खून देना है, तो आप उसे किस अधिकार से मना कीजिएगा? वही नहीं, अगर कोई अधिकारी कह दे कि आपको किडनी निकालकर अमुक मरीज को लगा दी जाए, तो आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है, जो यह करने से रोक सकती है। ऐसे तमाम आदेशों के खिलाफ जानते हैं आपकी ताकत क्या है? वह है, देश का संविधान। इसमें लिखी हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की वे लाइनें, जो ऐसा हर काम करने से रोकती हैं। हमारे संविधान में हमें दैहिक स्वतंत्रता दी है, इसलिए कोई भी, कभी भी खड़ा होकर हमारी नसों से खून नहीं निकलवा सकता, हमारी किडनी नहीं छीन सकता, हमारी गाड़ी नहीं उठवा सकता, हमारे भोजन को सीमित नहीं कर सकता, हमारे मनोरंजन पर परहे नहीं बैठा सकता।

लोग संविधान को केवल आरक्षण जैसे विषय पर लाकर खत्म कर देते हैं। आरक्षण तो एक मामूली हिस्सा है, असली बात तो यह है कि हमारा संविधान हमें हमारे ढंग से जीने की आजादी देता है। अगर यह नहीं होगा, तो कोई भी ताकतवर आपको पकड़कर आपका खून चूस लेगा और कोई अधिकार न होने पर आप सिर्फ खून देगे और रोएंगे। लिहाजा जरूरी है संविधान, इसीलिए बात हो रही है कि इसे बचा लो! आपको हमेशा लगना होगा कि आप बड़े ताकतवर हैं। आपको संविधान की जरूरत ही क्या है? संविधान हमारी जिंदगी में क्या ही रोल निभाता है? यह तो दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए है। मगर जब कभी आप कमजोर पड़ते हैं, किसी डॉक्टर के आगे, वकील के आगे, पुलिस के आगे, अधिकारी के आगे, दबंग के आगे, तब यही संविधान है, जो आपकी ताकत बनाता है। यह सिर्फ कुछ पन्नों की किताब नहीं, यह सिर्फ कुछ पन्नों की किताब नहीं,





संपादकीय जागरण

(12) शनिवार, 4 मई, 2024: वैशाख कृष्ण-11 वि. 2081

संघर्ष के विना समर्पण कर देना कायरता की निशानी है



राम नाथ कोविन्द

जब भी कई-जून में चुनाव होंगे, तब मौसम संबंधी संकटास्पद रहेंगे। हवावा उद्वेग ऐसे सचवा चुनाव कराने का होना चाहिए, जो अधिकतर भागीदारी में सहायक हो

यह आम चुनावों का समय है। अनेक कारणों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बार 96.88 करोड़ नागरिकों के पास मताधिकार है। प्रत्येक वोट, चाहे वह किसी भी उम्मीदवार के लिए हो, लोकतंत्र के पक्ष में ही एक वोट है। पूरे चुनाव में, बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हो रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का परिणाम विभिन्न वैश्विक घटनाओं को अलग-अलग ढंग से प्रभावित करेगा, लेकिन भारत के चुनाव ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे अधिक योगदान देंगे। इसलिए यह समय की मांग है कि चुनावों में अधिकतम सहभागिता को यथासंभव सुनिश्चित किया जाए। मतदाताओं तक पहुंचने और दूर-दराज के मतदाताओं को मतदान की व्यवस्था करने हेतु हरसंभव प्रयास करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की सराहना की जानी चाहिए। इनमें से कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल भी है। सिविल सोसायटी संगठनों और

अनुकूल मौसम में हों चुनाव

समाचार माध्यमों ने भी मतदान के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए हैं। मतदाताओं ने भी उस अह्वान पर सकरात्मक प्रतिक्रिया दी है और पहले दो चरणों में उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब तक का रज्जान संतोषजनक रहा है, लेकिन जब भी मतदान-प्रतिशत के आंकड़ों पर चर्चा होती है, तब पर्यवेक्षक और विश्लेषक अक्सर एक बड़ी चुनौती के रूप में गर्मी के मौसम की चर्चा करते हैं। यदि गर्मी के बावजूद मतदाता अच्छी संख्या में बाहर आए हैं, तो अनुकूल मौसम में चुनाव होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कहीं अधिक होती।



अधिकांश

वर्तमान परिदृश्य में, मौसम एक अपरिहार्य आयाम है। चुनावों को इस तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए कि 17वें लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने (16 जून) से पहले नतीजे आ जाएं। लाजिस्टिक कारणों और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान को कई हफ्तों की अवधि में आयोजित करना होगा। इन दो तथ्यों को देखते हुए इस बार का चुनाव कार्यक्रम अप्रैल में शुरू हुआ और जून में समाप्त होगा। यही समय है जब भारत के अधिकांश हिस्से बहुत गर्मी से पीड़ित रहते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावों के संचालन का समय निर्धारित करते हुए, मौसम के आयाम को ध्यान में रखा है, लेकिन उसे 16 जून की अंतिम समयसीमा का पालन भी करना पड़ता है। जैसे ही अहमदाबाद यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल के दौरान कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की,

निर्वाचन आयोग ने त्वरित कार्रवाई की। निर्वाचन आयोग ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया। यदि आवश्यकता पड़ी तो यह टास्क फोर्स प्रत्येक चरण के मतदान से पांच दिन पहले लू और आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगी और रक्षात्मक उपायों के लिए कदम उठाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली गर्मी की स्थिति का सामना करने हेतु तैयारी करने और सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य-स्तरों अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आश्रय-स्थल, पीने के पानी और पंखों की व्यवस्था करने के लिए भी मूछे। सुझाव है कि ये उपाय मतदाताओं को

तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, यहां तक कि कुछ स्थानों पर यह 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में जब भी कई-जून में मतदान होगा, तब भी मौसम संबंधी यही समस्याएं रहेंगीं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण परिस्थितियों और अधिक कठिन ही हो सकती हैं। इसलिए हमें मतदाताओं, चुनाव प्रचारकों और चुनाव कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चुनाव के उपयुक्त समय पर चर्चा करने की जरूरत है। कहने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

अब समय आ गया है कि हम आम चुनावों के लिए मौसम के अनुकूल समय सारणी बनाएं। मैं यहां स्पष्ट कर दूँ कि यह विषय एक साथ चुनावों पर मेरी अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के संदर्भ की शर्तों का हिस्सा नहीं था। चुनाव समय-सारणी के बारे में मेरा सुझाव उस समिति की सिफारिशों से अलग है। यह सुझाव मेरे द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जलवायु संबंधी चिंता इतनी गंभीर है कि इसके लिए एक सुविचारित और सामूहिक पहल की आवश्यकता है। लोकतंत्र के हित में इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसे मौसम में चुनाव कराना होना चाहिए जो अधिकतम भागीदारी के लिए अनुकूल हो ताकि लोकतंत्र को व्यवस्था और मजबूत हो सके।

(लेखक पूर्व राष्ट्रपति हैं) response@jagran.com



ऊर्जा

कर्मफल

यह जगत कर्म प्रधान है। हम अच्छे-बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, उसका फल अंततः हमें ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्यकर्म से हमें सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म, अशुभ कर्म, पापकर्म से दुख मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने कर्मों का परिणाम एवं प्रतिफल है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो हमें हमारे पुण्यकर्मों के सुफल से वंचित कर सके। उसी प्रकार यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमारा पीडा कर रहे होंगे और उन कर्मों के परिणामों को भोगना हमारी निश्चि होना। जैसे दीवार पर फेंकी गई गैद लौटकर फेंकने वाले की ओर आती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी ओर लौट आते हैं। वस्तुतः, कर्म प्रतिक्रियाशील है।

हम किसी भी प्रकार का कर्म करते समय भले ही अकेले रहे हों, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा की उपस्थिति वहां भी होती है। हमारे भीतर परमात्मा का अंश यानी हमारा आत्मा भी उस कर्म का साक्षी होता है। यही कारण है कि हम बुरे कर्म करते समय नुन्या की दृष्टि में भले ही अच्छे बने रहें, पर हमारे भीतर के अंतःसूत की आवाज हमें आई-ना दिखाती रहती है। भला उससे हम कोई चीज कैसे छिपा सकते हैं? हमारे आत्मा के पास हमारे प्रत्येक कर्म का लेखाजोखा है। कर्मों की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है।

हमारे कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल वर्षों बाद भविष्य में या फिर अगले जीवन में प्राप्त होता है, किंतु मिलता अवश्य है। बीज बोते ही वह वृक्ष तो नहीं बन जाता। उसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। हमारा हर कर्म वास्तव में बीज है, जो एक न एक दिन अंकुरित होता हुआ, विकसित होता हुआ वृक्ष के रूप में आकार लेता और उस वृक्ष में सुख और दुःख के फल लगे होंगे, जिनका भोग हमें ही करना होगा। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

परमात्मा

लोकतंत्र की शुचिता के सामने सवाल

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आम चुनाव के दौर से गुजर रहा है। विश्वसनीय चुनाव किसी भी राज्यव्यवस्था के लोकतांत्रिक माने जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें राजनीति में धन और आपराधिक तत्वों के प्रभाव को दूर करना एवं राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। हमारी जीवन्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सतह के नीचे कुछ चिंताएं भी छिपी हैं-जैसे बढ़ता अपराधिकरण, धनबल का उपयोग और चुनावी कदाचार। भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक राजनीति और अपराध के बीच बढ़ती साठगांठ है। पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक पूंजभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक गैर-सरकारी संगठन एंसेसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिकॉर्स (एडीआर) द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि 2009 में उनके खिलाफ लंबित मामलों कुल उम्मीदवारों के 15 प्रतिशत थे, जो 2014 में 17 प्रतिशत और 2019 में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गए। चुनाव जीतने में सफल रहे अपराधिक पूंजभूमि वाले उम्मीदवारों का अनुमान और भी गंभीर तस्वीर पेश करता है। 2009 में विजयी उम्मीदवारों में से 30 प्रतिशत ऐसे थे, जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों घोषित किए थे। 2014 में विजयी उम्मीदवारों में से 34 प्रतिशत और 2019 में 43 प्रतिशत के खिलाफ आपराधिक मामलों थे। इनमें से बड़ी संख्या में उम्मीदवार हत्या, वृत्तम और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे। एडीआर के अनुसार, 2019 में चुने गए 29 प्रतिशत संसदों पर गंभीर आपराधिक आरोप थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 24 प्रतिशत था। इस बार भी बड़ी संख्या में दार्गि प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पहले चरण में उनका प्रतिशत 16 था, दूसरे में 21 और तीसरे में 18 प्रतिशत।

संसद में दार्गी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल लोकतंत्र की छवि को धूमिल करती है, बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले शासन पर भी सवाल उठाती है। यह स्थिति कानून के शासन को कमजोर करती है और राजनीतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को खत्म करती है। हालांकि मतदाताओं को होना होगा जागरूक ● फलश्रुति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा आठ दोषी नेताओं पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन मुकदमों का सामना करने वाले नेता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही उनके खिलाफ आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों। दार्गी नेताओं को टिकट देने से इन्कार करने की बात तो दूर, सभी पार्टियां अपने द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए दार्गी नेताओं की संख्या में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती दिखती हैं। इस मुद्दे से निपटने का एक तरीका यह है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि आपराधिक पूंजभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक जा सके।

भारत में चुनाव प्रक्रिया के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती धनबल का बड़े पैमाने पर उपयोग है। भारत में चुनाव महंगे हो गए हैं और उम्मीदवार अक्सर धन जुटाने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। धनबल का प्रयोग न केवल समाज अक्सर छीन लेता है, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। यह भी उम्मीदवारों को अपने विरोधियों पर अनुचित बढ़त बनाने की सुविधा देता है, जिससे संपित वित्तीय संसाधनों वाले उम्मीदवारों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चुनावों में कोले

न केवल दार्गी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, बल्कि धनबल का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है

केसी ट्यागी



केसी ट्यागी

मतदाताओं को होना होगा जागरूक ● फलश्रुति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा आठ दोषी नेताओं पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन मुकदमों का सामना करने वाले नेता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही उनके खिलाफ आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों। दार्गी नेताओं को टिकट देने से इन्कार करने की बात तो दूर, सभी पार्टियां अपने द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए दार्गी नेताओं की संख्या में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती दिखती हैं। इस मुद्दे से निपटने का एक तरीका यह है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि आपराधिक पूंजभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक जा सके।

भारत में चुनाव प्रक्रिया के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती धनबल का बड़े पैमाने पर उपयोग है। भारत में चुनाव महंगे हो गए हैं और उम्मीदवार अक्सर धन जुटाने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लेते हैं। धनबल का प्रयोग न केवल समाज अक्सर छीन लेता है, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। यह भी उम्मीदवारों को अपने विरोधियों पर अनुचित बढ़त बनाने की सुविधा देता है, जिससे संपित वित्तीय संसाधनों वाले उम्मीदवारों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा चुनावों में कोले

धन के इस्तेमाल का अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह भ्रष्टाचार के चक्र को कायम रखता है और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के प्रयासों को कमजोर करता है। धन बल के सहारे चुनाव जीते प्रतिनिधि जनता के हितों की तुलना में अपने धनदाताओं के हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह चिंताजनक है कि इस बार पहले चरण के मतदान के पूर्व ही मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली शराब, आभूषण, मादक पदार्थ और नकदी पिछले चुनाव के मुकामले कहीं अधिक मात्रा में बरामद की गई। स्पष्ट है कि चुनाव खत्म होते-होते ऐसी बरामदगी कहीं अधिक होगी। हालांकि उम्मीदवारों के खर्च की एक सीमा तय की गई है, लेकिन पार्टी के खर्च की कोई सीमा नहीं है। बड़ी पार्टियां आमतौर पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की सीमा से अधिक पैसा खर्च करती हैं। इसे रोकने के लिए चुनाव खर्च पर मौजूदा कानूनों को और अधिक प्रभाव बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्चों पर एक सीमा होनी चाहिए। जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपना चुनाव खर्च दर्ज करने में विफल रहे, उसे वैंडिट किया जाए और यदि वह चुनाव जीत गया हो तो उसे शपथ लेने से रोक दिया जाए।

अपराधिकरण और धनबल के अलावा, चुनावी कदाचार भी चुनाव प्रक्रिया के लिए एक खतरा है। चुनावी कदाचार के विभिन्न रूप हैं, जैसे बूथ पर कब्जा करना, मतदाताओं को डराना और वोट खरीदना। मतदाताओं की जागरूकता के अभाव में भी ये तौर-तरीके देश के कई हिस्सों में प्रचलित हैं। चुनावी कदाचार पर अन्य कदाचारों से निपटने के लिए कई हीरो नी पर ठोस प्रयासों की जरूरत है। चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को मजबूत करने और राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की जवाबदेही बढ़ाने वाले चुनाव सुधारों की तत्काल जरूरत है। चुनावी कदाचार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए अधिक मजबूत तंत्र बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा। नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताने के साथ ही उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

(लेखक जयदू महामहोदय एवं पूर्व संसद हैं) response@jagran.com

देश को नई दिशा देना चुनाव परिणाम

विवेक काटजू द्वारा लिखित आलेख 'दुनिया की नजर में है लोकसभा चुनाव' पढ़ा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की जननी है, और आज देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव चल रहा है। इस चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है। हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एवं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश को इस मुकाम तक पहुंचने में आजादी के बाद सभी सरकारों का योगदान है। आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। अब रक्षा उपकरणों का निर्मातक देश भी बन चुका है। कोरोना काल के दौरान गलतबा घाटी में चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर भारत ने अपनी बढ़ती शक्ति का एहसास कराया। सैकड़ों देशों को टीके का दान देकर मानवता की रक्षा की। आपदा की घड़ी में अफगानिस्तान और श्रीलंका को मदद भेज कर पड़ोसी धर्म को निभाया। जी-20 का सफल आयोजन कर भारत ने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच कर भारत ने अंतरिक्ष जगत में सफलता का पहला कदम लगाया। यूक्रेन संकट के दौरान देश ने तटस्थ नीति अपना कर अपने हितों की रक्षा की, एवं अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया। भारत की युवा शक्ति पूरी दुनिया को सेवा प्रदान कर रही है। यह चुनाव परिणाम देश को नई दिशा प्रदान करेगा।

ई हिमांशू शेखर, केसाप, गया

पाठकनामा
pathaknama@pat.jagran.com

अमेरिका को सही जवाब

'अमेरिका को खरी-खरी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही लिखा गया है कि पश्चिमी देश अनावश्यक रूप से भारत जैसे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की मंशा रखते हैं। भारत को लेकर बुनियादी समझ के अभाव में उस पर अनगणित टिपणियां करते रहते हैं। कभी वे मानवाधिकारों का मुद्दा उठाते हैं तो कभी संस्थानों की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हैं। इस प्रकार के प्रकरणों से यही अनुभूति होती है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश एक प्रकार के श्रेष्ठताबोध से भरे हुए हुए हैं जो यह मानते हैं कि कथित सभ्यता और आधुनिकतावाद का दायर उन्हीं तक सिमटा हुआ है और वहीं दुनिया के अन्य हिस्सों को उपदेश देने का अधिकार रखते हैं। यह स्थिति तब है जब हाल के दिनों में अमेरिका के कई शिक्षण संस्थान हिंसा, अराजकता और विरोध-प्रदर्शनों के केंद्र बने हुए हैं। बहुत ज्यादा दिल नहीं हुए जब अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' यानी 'अश्वेतों का जीवन भी महत्वपूर्ण है' जैसी सहूलिम चलाना पड़ी थी। वास्तविकता यही है कि कोई भी देश पूर्णता में सर्वश्रेष्ठ नहीं है और इस कारण उसे दूसरों को हीन समझने की मानसिकता से बाज आना चाहिए। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने संयत एवं सटीक प्रतिक्रिया व्यक्त करके बिस्कुल सही किया।

विद्यार्थियों, बुलंदशहर
370 हटा कर संविधान की सेवा की
'कौन खतरा बन रहा है आरक्षण के लिए' शीर्षक

आलेख में बज्र लाल ने आरक्षण को लेकर मुख विपक्षी दल कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। 1961 से लेकर 2024 तक तथ्यों को सामने रख कर बज्र लाल ने सही लिखा है कि आरक्षण के मामले में यह देखने की आवश्यकता है कि किस दल की सरकार ने उससे लिए क्या किया? निरिंदेर इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो पार्टी अपने संविधान की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी। बहुत ही अनुभवी लोग और भारत को जानने वाले लोगों ने संविधान को बनाया है। इसलिए उसको एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान में देश आगे चले, इसकी पूरी व्यवस्था भी है। जब संविधान बना तो उसके हर एक पृष्ठ पर पेंटिंग रखी गई। वे पेंटिंग हमारे हजारों वर्षों को जोड़ने का माध्यम है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, यह संविधान देने में ही। कुछ दल धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर तुले हैं। कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था। जम्मू-कश्मीर में दलित भाई बहनों को 75 वर्षों तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला। तब सत्ता में रही कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को क्यों रोना नहीं आया। वहां संविधान था ही नहीं। वर्तमान केंद्र सरकार ने संविधान की सबसे बड़ी सेवा जम्मू-कश्मीर से 370 हटा कर की। कश्मीर में दलित, आदिवासी और ओबीसी को आज आरक्षण मिल रहा है। आज उन्हें संविधान की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। नामांकन व नौकरियों में आरक्षण प्राप्त कर समाज की मुझे धार में आ रहे हैं। अन्य प्रदेशों की तरह कश्मीर में भी देशवासी जमीन की खरीद-बिक्री कर सकते हैं। युगल किशोर राही, छपरा, बिहार


बालू के साथ प्रयोग

अगर कोई चाहे तो राज्य सरकार की ओर से बालू के साथ किए गए प्रयोगों पर सुंदर, विस्तृत और रोचक ग्रंथ की रचना कर सकता है। अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन चार-साल के भीतर के सरकारी परिपत्रों और उस आधार पर प्रकाशित समाचारों का अध्ययन करने मात्र से संबंधित ग्रंथ की रचना हो सकती है। इसमें हास्य भी रहेगा। अर्थशास्त्र भी रहेगा। करामात का समलोचन भी रहेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि बालू से तेल निकालने वाले लोग कितने पिछड़े थे। बेचारे सिर्फ तेल निकाल कर ही रह गए। बालू से कुछ बढ़िया निकालने का हूनर उनके पास होता तो वे आज की तरह आलीशान मकान निकाल सकते थे। विधानसभा और लोकसभा का टिकट निकाल सकते थे। मतबल तेल से अधिक कीमती आइटम निकाल सकते थे। लेकिन, ज्ञान के अभाव में बेचारे सिर्फ तेल निकाल कर रह गए। आजतक कदाबत बनकर अमर्मानित हो रहे हैं। उस समय अधिक मूल्यवान वस्तु निकाल लिए होते तो उनको पीढ़ियां ठाठ से जीवन बसर करतें। अधिक से अधिक क्या होता? सजा मिलती। कुछ दिन जेल में रहते। आज भी लोग बालू के कारण जेल जा रहे हैं। कानून बनाने वाले एकाध लोग भी बालू लौला में लिपट होकर जेल की सैर कर रहे हैं। मगर, इससे किसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बालू के अवैध कारोबार पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसियां भी कहां पीछे रह रही हैं। सिपाही से लेकर कोतवाल तक बालू के खेल में फंसे हुए हैं। जेल जा रहे हैं। निलंबित हो रहे हैं। फिर भी कोई सरकारी मुलाजिम परहेज नहीं कर रहा है। सरकार का कानून है। कानून के तहत बालू का कारोबार होगा, ताकि आम और खास लोगों को आसानी से बालू मिल सके। सब हो रहा है। बस, एक काम यही नहीं हो रहा है कि आसानी से बालू मिल जाए।

बालू के खेल में सिपाही से लेकर कोतवाल तक फंसे हुए हैं। उन्हें जेल भी हो रही है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



जागरण जनमत
क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना सही है कि सात फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा?

आज का सवाल क्या अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का राहुल गांधी का फैसला सही है?
हाँ: 79.3
नहीं: 16
कह नहीं सकते: 4.7
परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संस्थापक-स्व.पूर्णचंद्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक-स्व. मोहन मोहन, नान एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक-संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा सैकें जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडियन प्लेन, पटलपुल, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक-आलेख भिष्म * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E-mail : patna@pat.jagran.com, R.N.O. BIHIN/2000/03097 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.वी.एफ.के अर्पित उतारवटी पटना जमीनी रोज.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 22

राजस्थान पत्रिका

संस्थापक
कपूर चन्द्र कुलिश



सभी नदियां अपने अनुकूल मार्गों से प्रवाहित होती हैं। अन्त में उसी समुद्र में समाहित हो जाती हैं, जहां से उनका आगमन होता है। सागर में विलीन होकर वे यह नहीं जानती कि मैं अमुक नदी हूँ। जीव भी सत् तत्व से प्रकट होकर नहीं जानता कि मेरा आगमन सत् से हुआ है।

बीज में है सृष्टि



गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com



शरीर ही ब्रह्माण्ड

सोते समय पुरुष सत् से युक्त हो जाता है। अपने स्वरूप में रहता है। मन भी चारों ओर भ्रमण करता हुआ प्राण का ही आलम्बन ग्रहण करता है। जब भोजन करते हैं तो खाए हुए अन्न को जल ही ले जाता है। जल को अशनाय कहते हैं।

एक शास्त्र प्रश्न है- 'मैं कौन हूँ?'। कृष्ण कहते हैं- 'अहं बीजप्रद पिता। मैं बीजप्रदाता पिता हूँ। श्रुति कहती है-पिता वे जायते पुत्रो अर्थात् पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। यही उत्तर है। गीता पुनः प्रमाणित करती है-ममैवांशो जीवलोकः...। गीता का स्पष्टीकरण भी है- **पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुगुणम्। कारणं गुणसङ्घोऽस्य सदसद्योजनिजन्मसु।। (गीता 13.22)** अर्थात् प्रकृति (शरीर) में स्थित ही पुरुष (आत्मा) प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणीय पदार्थों को भोगता है। गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी-बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। पिता बीज है-मां धरती है। पिता ब्रह्म और माता माया है। दोनों मेरे स्वरूप के निर्मायक हैं। बीज में शरीर की आकृति रहती है, प्रकृति रहती है। प्रकृति बीज के स्वरूप का ही अंग है। चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है। सौम्या है, मन प्रधाना है। चन्द्रमा भी अपने सोम से ओषधियों का पोषण करता है। सूर्य काल में भी रहता तो है, किन्तु सूर्य में समाया हुआ रहता है। चन्द्रमा भी सूर्य पत्नी है। चन्द्रमा की श्रद्धा से ही मन का निर्माण होता है। चन्द्रमा हमारा पितरलोक है। जीवात्मा पुनर्जन्म के लिए यहाँ से बादल-वर्षा-अन्न से गुजरता हुआ शुक्र में प्रवेश करता है। ये भी जीवात्मा के जन्म ही हैं, इन्हीं प्राकृतिक माता-पिताओं द्वारा। हम भी प्राकृतिक माता-पिता के रूप में ही भूमिका निभाते हैं। हमारे माध्यम से भी जीवात्मा इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है। हम जीवात्मा के रूप में स्वयं को समझ सकते हैं।

हमारे जन्म में माता-पिता तो निमित्त मात्र हैं। हमारी देह के विकास में कितने देवता अपनी भूमिका निभाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में ऋषि पति द्वारा देवों के आह्वान का विस्तार है। 'हे प्रिये! सर्वव्यापी भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भाशय को समर्थ बनाएं, जिससे तुम श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दे सकें। भगवान त्वष्टा भावी सन्तान के अंगों को घुष्ट एवं सुन्दर बनाएं। प्रजापति मुझमें स्थित होकर तुममें वीर्याधान करें। भगवान धाता तुम्हारे अन्दर गर्भ धारण करें। उसे पोषित करें। हे देवी! तुम स्वयं सिनीवाली हो (चन्द्रमा की कलाओं को धारण करने वाली प्रतिपदा) अतः गर्भ धारण करो। अश्विनी कुमार (द्वय) स्वयं मेरे अन्दर स्थित होकर अपनी रश्मिरूपी कमलों की माला को धारण कर तुम्हारे अन्दर गर्भाधान करें।

'दो अरिणियों से अश्विनी कुमारों ने मन्थन किया था। उससे अमृत स्वरूप गर्भ (अमि) प्रकट हुआ था। उसी प्रकार हे देवी! उस अमृत स्वरूप को हम तुम में स्थापित करते हैं। जिससे तुम दशम मास में इसे उत्पन्न कर सकें। जिस प्रकार पृथ्वी अमि को गर्भ रूप में धारण किए हैं, वही इन्द्र को धारण किए हैं, दिशाएँ वायु को धारण किए हैं, उसी प्रकार हे देवी! तुम में पुत्र रूप गर्भ को प्रतिष्ठित करता हूँ। हे देवी! जिस प्रकार वायु सरोवर के जल को चंचल करता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह गर्भ चंचल हो जाए और जरायु सहित बहिर्गमन

करें। जीव का यह पथ जरायु युक्त और अवरोध रहित है। हे जीवात्मन्! तुम गर्भ आवरण सहित बाहर निकलो' (बृहदा. 6-4-23)।

'मैं इस घर में पुत्र रूप समृद्धि को प्राप्त हुआ हूँ। पुत्र के घर में कभी सन्नति, सम्पत्ति की कमी न हो। मैं अपने प्राणों को तुझमें मानसिक रूप से होम करता हूँ। मैंने जो कुछ न्यून/अधिक किया है, अग्नि देव मुझे दोष मुक्त करके सुहृत् करें।' यहाँ सम्झने की बात है कि पिता अपने प्राणों को पुत्र में ही होम करता है, पुत्री में नहीं। 'पुत्री के प्राण शादी के समय कन्यावन्म रूप में दामाद के प्राणों में होम करता है।' (बृहदा. 6-4-24)।

नवजात शिशु को घी, दही, मधु मिश्रण चटते हैं। 'मैं तुझे भू, भुवः, स्वः में प्रतिष्ठित करता हूँ।' दही अन्न का पृथ्वी अंश होता है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु, मधु-समुद्र का। पृथ्वी का इसी समुद्र से गुजरने का काल मधुमास कहलाता है। इसके बाद माता प्रथम स्तनपान करवाती है। साथ में मंत्रोच्चारण किया जाता है। 'हे देवी सरस्वती! आपका स्तन इस शिशु के लिए अक्षय दूध का भण्डार है, जो पोषण प्रदान करने वाला है। यह रत्नों की खान, सम्पत्ति प्रदाता है कल्याणकारी है। जिससे आप समस्त वरण करने योग्य पदार्थों

महिलाओं की सेहत से जुड़ी चिंताजनक तस्वीर

लेकर चलती हैं। हालांकि ये ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं, जो ठीक नहीं हो सकती। थोड़े से ध्यान और थोड़े से इलाज से इनसे निजात पाई जा सकती है। इसके बावजूद यदि महिलाएँ जिंदगी भर किसी भी रोग को अपने साथ लेकर रहती हैं या लगातार तकलीफ भोगते हुए कष्टमय जीवन बिताने को मजबूर हो तो यह उसके साथ बड़ा अन्याय है। यह एक कड़वी सच्चाई है, जो हमारे समाज में लिंगभेद के बिना स्त्री-पुरुष की बराबरी के सारे दायों को खोखला साबित करती है। सवाल यह भी है कि आखिर कोई भी महिला रोग को जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलने का फैसला खुद कर रही होगी क्या? बिलकुल नहीं। जाने-अनजाने

में इन परिस्थितियों के लिए पुरुष वर्ग जिम्मेदार होगा। इसके लिए परिवार और समाज का माहौल भी जिम्मेदार माना जा सकता है। रिपोर्ट साबित कर रही है कि बड़े स्तर पर महिलाओं के बारे में निर्णय का अधिकार पुरुषों के हाथ में ही होता है। इसलिए कई बार रोगग्रस्त होने के बावजूद महिलाएँ डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाती और जिंदगी भर कष्ट सहने को अभिमत हो जाती हैं। यह वाकई चिंताजनक तस्वीर है, जिसे बदला जाना चाहिए। कई अन्य सामाजिक वर्णनाएँ व रूढ़ियाँ भी ऐसे हालात के मूल में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिला-पुरुष की बराबरी के लिए पिछले सौ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। फिर भी महिलाओं की सेहत को लेकर जो तथ्यां आ रहे हैं वे चिंताजनक हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। देश की महिलाएँ ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण की हकदार हैं और उनकी सेहत के मोर्चे पर काफी कुछ करना बाकी है। पुरुषों के साथ महिलाएँ भी स्वस्थ रहेंगी, अभी परिवार, समाज और देश मजबूत होगा। इसलिए बीमारी होने पर महिलाओं के उपचार में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए।

आर्ट एंड कल्चर

शिक्षा में मिले सीखने, देखने और परखने का मंत्र

अ रसा पहले कला मर्मज्ञ मुकुंद लाठ जी के घर पर पढ़ित जसराज जी से संबद्ध हुआ था। याद है, उन्होंने तब सिखिया, दिखिया और परखिया शब्दों का प्रयोग किया था। यह संयोग ही है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम 'संवाद' में प्रेरणा श्रीमाली ने भी इस बारे में बातें, देखने और परखने के शब्दों में कथक सीखने का मंत्र दिया। मुझे लगता है कि कला-शिक्षा का मूल मर्म यही है। हमारे यहां पाठ्यक्रमों में कलाओं की सैद्धांतिकता का समावेश तो होता रहा है, परन्तु उसकी व्यावहारिकता प्रायः वहां गौण है। यह वह विकट दौर भी है, जब अक्सर यह समाचार पढ़ने को मिलता है कि फलतः प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते किसी विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। शिक्षा-प्रभित होकर ऐसे कदम उठाए जाते हैं परन्तु कलाएं इस भ्रम का निवारण कर सकती हैं, बशर्ते उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में स्थान

बनाया जा सके। शिक्षा की सारी संभावनाओं के द्वार खोल उमंग, उत्साह से लबरेज करती हैं। स्वतंत्रता से कुछ सीखने की दृष्टि देती हैं। यह विद्यमन्त्र ही है कि संगीत, नृत्य, नाटय चित्र, मूर्ति, वास्तु आदि के प्रदर्शन के जमाने तो हमारे यहां बहुत हैं, परन्तु उनके प्रति रसिकता जगाने की दृष्टि गुम सी है। कहा गया है, रजयति इति रागः। माने जो मन को रंग दे, वह राग है। कलाओं के इस राग से ही जीवन के प्रति अद्युत्साह जगता है। शिक्षा की बड़ी जरूरत इस समय यही है। महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि जगता से जुड़ने का जो काम राजनीति में रहकर वह कर रहे हैं, नन्दलाल बोस वह कार्य अपनी कला में कर रहे हैं। चरखे के संगीत को सुनते स्वदेशी के प्रसार, आश्रम में प्रार्थना करवाने से जुड़े उल्लेख कार्य जन्म-मन को जोड़ने की दृष्टि ही है। कलाएँ युद्ध के बाद हलगुल नरसंहार को देख अशोक का जब हृदय परिवर्तित हो जाता है तो धर्म में जय की अपनी दृष्टि के प्रसार के लिए वह कलाओं का सहारा लेता है। कोशावती, वैशाली, लाठ-लौर, सारनाथ और अन्य धर्म-स्तूपों पर मूर्ति-अलंकरणों में खुदी धर्मालिपि से ही धर्म की उसकी शिक्षाओं का प्रसार हुआ। मुझे लगता है कि शिक्षा में सृजन से दूरी ही आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ती आत्महत्याओं का कारण भी यही है।

कलाओं की शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रमों से नहीं मिल सकती। कलाओं के लिए तो परिवेश से सीखने, देखने और परखने की दृष्टि महत्वपूर्ण है। कहने को देशभर में संग्रहालयों में प्राचीन धरोहर से जुड़ी महती वस्तुएं संजोई हुई हैं, परन्तु माहौल उत्साहजनक नहीं है। अजन्ता, एलोरा, कोणार्क, खजुराहो के शिल्प अद्भुत हैं परन्तु वहां पर्यटन प्रमुख है। असल में कलाओं को देखने-समझने और उसके अंतर आलोचकों में जाने के लिए कहीं कोई पहल नहीं है। हम विद्यार्थियों को देखने, सुनने और गुनने के लिए प्रेरित करें।

हमारा वोट, हमारा अधिकार

लोकतंत्र के उत्सव में रहे त्योहार सा उत्साह

लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। इस अवसर पर किसी त्योहार जैसा ही उत्साह होना चाहिए। मतदान का तो सारा चरण सात माई को होगा। पहले चरण में जम मतदान हुआ था तब मतदान प्रतिशत कम रहा था। दूसरे चरण में बढ़ा जरूर लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर हमारा मतदाता वोट डालने के लिए घरों से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहा। वोट नहीं देकर हम 'अब पछताऊं क्या होत, जब चिड़िया च्यु गई खेती' वाली कक्षा का उदाहरण क्यों बनना चाहते हैं। सभी की सोच सभात का मकसद अलग-अलग होता है। काम करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन लोकतंत्र का महत्त्व तो समझना चाहिए और वोट के अधिकार प्रयोग करना चाहिए। हमारे समनों को पूरा करने में जो हमारा साथ दे, वही हमारा नेता होना चाहिए। अपना नेता चुनने के लिए सभी मतदाताओं को वोट देना चाहिए। मतदान के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ लोग सो रहे हैं, जबकि यह वक्त सोते रहने का नहीं, जागें और जगाने का है। वोट किसी के पीछे रहकर या आगे रहकर नहीं बल्कि अपनी सोच एवं क्षमता से दें। सोचें तो पर भेड़चाल नहीं होनी चाहिए। हम किसे वोट दे रहे हैं या किसे वोट देना चाहिए, यह हमारी सोच पर निर्भर होना चाहिए न कि किसी दूसरे की सोच पर।

बतंगड़

...सुहाना सफर और ये 'मंजिल' कठिन

हरीश पाराशर

थों-हाथ फैसला हो गया कि इस बार जोखिम नहीं लेनी है 'बांस' को। पिछली बार याद करो, किस तरह से हिचकाले खाती बावन सीटर बस में 'गम धाम की भूमि' से सिर्फ एक ही सवारी बैठ पाई थी? इनकी सवारियां तो बावन सीटर बस में ही आ गईं और वहां 'फूल वाले' के नाम से न जाने कहां-कहां से प्लेन उड़े कि एक ही इन्टके में 303 सवारियां संसद मार्ग तक पहुंचा दी गई थीं। कहते हैं कि उधर 'पायलट' काफी होशियार हैं। इतने होशियार कि इस बार तो एक सवारी पहले ही संसद के बाहर उतार दी। जोखिम पहले से कम नहीं। सबको पता है कि पिछली बार 'बहुरानी' ने 'बांस को संसद मार्ग तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी। वे तो अपनी बस दक्षिण से होते हुए निकाल लाए, इसलिए संसद पहुंचने में कामयाब हो गए। संसद मार्ग तक पहुंचने का यह सफर इतना आसान नहीं, जितना समझा जा रहा है। वहां 'बड़ी कुर्सी' पर कौन बैठेगा, इसे तय करने का फार्मूला संस्था बल है। जो खुद या किसी से 'मिलकर' 272 सवारियां यहाँ तक पहुंचाएगा, वही बड़ी कुर्सी की शोभा बढ़ाएगा। मौका पूरे पांच साल बाद मिला है, इसलिए कोई चुकना नहीं चाहता। सबसे अपने-अपने 'वाहन' चारों दिशाओं में दौड़ा दिए हैं। संसद मार्ग जाने वाली पात्र सवारियों का चयन 'जनता' को करना है। इसलिए सब डरे हुए हैं। अब किसी ने प्लेन उड़ा रखे हैं तो किसी ने रेल-बसे लगा दी हैं, ताकि तय कोटा पूरा हो सके। वैसे मायूसी भी कम नहीं है। उधर चिंता यह कि आर-पार की जो बातें कहते आए हैं वे पूरी होंगी या नहीं। और, चिंता इधर यह कि अस्सी वाले सबे से कितनी सवारियां संसद मार्ग जाने लायक होंगी। चिंता की बातें तो दूसरे सुबों से भी छन-छन कर आ रही हैं पर वे बेपरवाह हैं। इधर इन्हें 'शतरंज का खिलाड़ी' बताते हुए सच-कुछ ठीक-ठाक होने का दावा किया जा रहा है। पर भाई, सब चाल पर निर्भर है। शह और मात का खेल है यह।

harish.parashar@epatrika.com

उत्तरप्रदेश : 1998 से 2014 तक कन्नौज पर सपा का रहा कब्जा

इत्रनगरी में पिछली बार ढहा था सपा का गढ़ अखिलेश के आने से रोचक हुआ मुकाबला



कन्नौज से फिरोज सैफी



सपा एमवाइड फॉर्मूले के सहारे

इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज लोकसभा सीट इन दिनों उत्तरप्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय है। तीसरे चरण में जिन 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है, उनमें कन्नौज सबसे हॉट सीट है। इसकी वजह यह है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। अखिलेश यादव पहले भी इस सीट से लगातार तीन बार सांसद रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं। 1998 से लेकर 2014 तक लगातार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें कन्नौज सदर, छिब्रामऊ, तिर्वा, रसूलाबाद और बिधुना है। इस बार अपने गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव को खुद चुनाव में उतरना पड़ा है। वहीं भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक पर दांव खेला है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बहुरान समाज पार्टी ने इमरान जफर को चुनाव मैदान में उतारकर अल्पसंख्यक और दलित वोटों में सेंधमारी का प्रयास किया है। कन्नौज के मतदाताओं में यहाँ रहे चुनाव को लेकर क्या उत्सुकता है, यही जानने के लिए मैं मैनपुरी से कन्नौज के लिए बस से रवाना हुआ। करीब 2 घंटे के सफर के बाद कन्नौज बस स्टैंड पर पहुँचा। जहाँ पर बस का इंजन कर रहे डैट कारोबारी श्याम सिंह से डंस सीट का हाल जाना तो उन्होंने कहा कि यहाँ अखिलेश के आने से मुकाबला कड़ा हो गया है, लेकिन वोट पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भी पड़ेगे।

समाजवादी के पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं ने यहाँ डेरा डाल रखा है, घर-घर जाकर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। सपा के शासन में कराए गए विकास कार्यों को गिनाकर सपा के नेता जनता से वोट मांग रहे हैं। हालांकि यहाँ सपा को अपने एमवाइड (मुस्लिम-यादव) फॉर्मूले पर भरोसा है। वहीं भाजपा राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज, बेहतर कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट मांग रही है।

अखिलेश के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इत्र व्यवस्थापी मोहम्मद शानू ने कहा कि कौन किसको कौट करेगा कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर अखिलेश यादव के काम पर वोट पड़े तो समाजवादी पार्टी जीतीगी और पीएम मोदी के नाम पर वोट पड़े तो भाजपा ही जीतीगी। इत्र की दुकान चलाने वाले अनमोल तिवारी ने कहा कि युवा तो अखिलेश यादव के साथ हैं अखिलेश ने खुब काम कराए हैं, यहाँ राम मंदिर, अनुच्छेद 370, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर जनता वोट करने वाली नहीं है। लोगों के सामने तो बात नहीं की, लेकिन बातों से स्पष्ट है कि जो भाजपा को हराएगा उसे वोट करेंगे। हालांकि इस सीट पर किसी एक जाति की बहुलता नहीं है। यहाँ यादव, दलित, शायच, राजपूत और ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता बराबर हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास सरायमीरा इलाके में चाय की दुकान करने वाले धनश्याम राठौड़ का कहना है कि वे भाजपा को वोट देते आए हैं, लेकिन कन्नौज में तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतीगी। अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए यहां पर विकास के खूब काम कराए हैं। भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। उनको लेकर लोगों में अक्रोश है। उनका कहना है कि अगर अखिलेश की जगह सपा से कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो भाजपा के लिए आसानी होती। लेकिन

आरक्षण की समीक्षा जरूरी

आरक्षण हाशिए पर खड़े वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अस्थायी व्यवस्था थी, किंतु राजनीतिक कारण यह प्रावधान स्थायी नजर आने लगा है। आरक्षण ने जातियों को खाई को पाटने के स्थान पर और अधिक गहरा कर दिया है। समाज और सभी राजनीतिक दलों के इस प्रावधान की समीक्षा करनी चाहिए।

-आजाद पूर्ण सिंह राजावत, जयपुर

आरक्षण का आधार जाति न हो

आरक्षित जातियों के कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है। कोई भी दल आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं कह सकता क्योंकि उसे इन जातियों के वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है। आज भी देश में पिछड़ापन और गरीबी है। आरक्षण आय के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर।

-खुशबू कंवर, जोधपुर

आज का सवाल

महिलाओं की सेहत में सुधार कैसे हो? कल का सवाल था, आरक्षण पर बार-बार विवाद क्यों होता है? इमेल करें edit@epatrika.com

वोट बैंक बनाने का हथियार

राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करते हैं। आरक्षण जाति के आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जातिगत आरक्षण से समाज में विभक्तता पैदा होती है। जाति के आधार पर मिल रहे आरक्षण को वजह से धनी परिवारों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाता है, जो ठीक नहीं है।

-मुकेश भटनागर, भिलाई, छत्तीसगढ़

वचित वर्ग को ही मिले लाभ

आरक्षण को लेकर काफी राजनीति होती है। जाति के आधार पर आरक्षण देने से वोट बैंक तैयार होता है। विभिन्न जातियों को आरक्षण देकर खुश करने के चक्कर में अब पंचायत प्रतिशत की सीमा भी पर होने लगी है। आरक्षण के जरिए वोट बटोरने की राजनीति बंद होनी चाहिए और वचित वर्ग को ही इसका लाभ मिलना चाहिए।

-ललित दुबे, रतलाम, मध्य



प्रत्याशी का चेहरा

अब यह उजगर है कि प्रत्याशी के चुनाव में राजनीतिक दलों से साफ-सुथरी छवि का ध्यान रखने की चाहे जितनी अपेक्षा और मांग की जाए, पर उनका मकसद एक ही होता है। वे उसी को उम्मीदवार बनाते हैं, जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है, चाहे वह अपराधिक छवि का ही क्यों न हो। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह को चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। इसे लेकर उसमें ऊहापोह भी देखी जा रही थी। मगर लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में अदालत की सुनवाईयों का सामना कर रहे हैं। उनकी वजह से भाजपा को खासी किरकिरी झेलनी पड़ी। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर अंगुली उठाई थी, जिसके चलते उन्हें कुश्ती महासंघ के चुनाव से अलग रहना पड़ा। मगर उन्होंने कुश्ती महासंघ पर अपना दबदबा कायम रखने की नीयत से अपने एक करीबी को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया और उसे ही विजय भी मिली। उस पर भी अंगुलियां उठनी शुरू हुईं, तो खेल मंत्रालय को आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा।

यह समझना मुश्किल है कि भाजपा के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, जो उसने बृजभूषण शरण सिंह से अपना पल्ला छुड़ाना उचित नहीं समझा। उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया। इससे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उठ रहे सवाल शांत नहीं हो जाएंगे। इसके पीछे एक वजह तो यह बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा था कि वह राजपूत समाज के प्रत्याशियों का टिकट काट रही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि बृजभूषण का टिकट कटने से उनके बगावत करने और उस सीट से हारने के आशंका हो सकती थी। मगर इस तरह समझौता करके भाजपा अगर अपनी एक सीट बचा भी ले, तो इससे उसके सिद्धांतों पर सवाल तो उठेंगे ही। लंबे समय से मांग की जा रही है कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते हुए उनकी छवि का ध्यान रखें। निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि राजनीतिक दल आपराधिक छवि के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज करें। अगर वे किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती हैं, तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या उसकी जगह कोई और प्रत्याशी नहीं मिला। बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट देकर बेशक भाजपा इस जवाबदेही से बच गई है, पर यह तो जाहिर है कि वह चुनाव उनका बेटा नहीं, एक तरह से वे खुद लड़ेंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर बेशक अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, मगर जिन तरह महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए और जांचों से भी उनके खिलाफ तथ्य सामने आए, उससे उन्हें फिलहाल निरपराध नहीं कहा जा सकता। यह भी छिपी बात नहीं है कि उनके खिलाफ आंदोलन पर उतरी महिला खिलाड़ियों को किस तरह दमन के जरिए आंदोलन से हटाया गया। इन सबको लेकर लगातार सरकार के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद उनकी जगह उनके बेटे को टिकट देकर भाजपा ने एक तरह से एक नए विवाद को गले लगा लिया है। इसे लेकर विपक्षी दलों और महिला खिलाड़ियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

बुजुर्गों की फिफ्र

हमारे देश में सामान्य तौर पर बुजुर्गों की अहमियत है। सभी अपने घर के बड़े-बूढ़ों का खयाल रखने की कोशिश करते हैं। मगर उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर अपेक्षित नीतिगत व्यवस्था की कमी रही है। खासकर ढलती उम्र में उनके स्वास्थ्य का खयाल रखने के लिए बीमा जैसी व्यवस्था में भी अभी तक उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं रही है। यह बेवजह नहीं है कि बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा के मामले में भारत एशिया-प्रशांत देशों में सबसे निचले पायदान पर है। 'एजिंग वेल इन एशिया' शीर्षक से गुरुवार को जारी एशियाई विकास बैंक की एक रपट में बताया गया है कि भारत को तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबको स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना वक्त का तकाजा है। हालांकि गरीब लोगों को नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजना आने के बाद से बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन इस ओर विशेष ध्यान देना समाज और देश के हित में है, क्योंकि अधिक उम्र वाले लोगों की मौजूदगी से मिलने वाला 'लाभांश' ज्यादा हो सकता है।

दरअसल, बदलती स्थितियों में बुजुर्गों को अपनी सेहत के लिहाज से ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। परिवार और समाज के अतिरिक्त व्यवथागत ढांचे में कुछ ऐसे नियम-कायदे हैं, जिनमें कई बार बुजुर्गों को या तो उपेक्षा झेलनी पड़ती या फिर उन्हें कमतर सुविधाएं मिलती हैं। मसलन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा के मामले में देखें तो ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जैसी शर्तें रखी गई हैं, उसमें उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। जबकि बढ़ती उम्र के साथ सेहत के लिहाज से कई ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, जिनमें उन्हें स्वास्थ्य बीमा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि अब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुजुर्गों को भी बीमा खरीदने की सुविधा प्रदान कर दी है। पर स्वास्थ्य बीमा का खर्च कम और उनकी पहुंच में होना चाहिए। इस संदर्भ में देखें तो एशियाई बैंक विकास की ताजा रपट नीतिगत स्तर पर ठोस पहल की जरूरत को रेखांकित करती है।

कचरे का भार ढोते गरीब देश

पश्चिमी देशों का दक्षिण के देशों के प्रति गैर-बराबरी की एक स्याह हकीकत का पता चला कि कैसे विकसित देश अपने कूड़े का निस्तारण खुद न कर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को धता बताते हुए उसे गरीब और विकासशील देशों को निर्यात करते आए हैं।

कुशाग्र राजेंद्र

मनीला बंदरगाह वर्ष 2013 से 2019 के मध्य तक कनाडा और फिलिपींस के बीच एक अનોखे विवाद के केंद्र में रहा। कनाडा ने पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के नाम पर घरेलू कचरे से भरें 103 बड़े 'कंटेनर' फिलिपींस भेजे थे। फिलिपींस को जब इस घपले का एहसास हुआ तो उसने कहा कि कनाडा पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट के बदले घरेलू कूड़ा भेज कर अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहा है, वह अपना घरेलू कूड़ा वापस ले। इस मामले ने इतना तुल पकड़ा कि फिलिपींस ने कनाडा के खिलाफ युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। आखिरकार छह साल बाद कनाडा को अपने 103 में से 69 कंटेनर वापस लेने पड़े। दोनों देशों के बीच इस खींचतान से पश्चिमी देशों का दक्षिण के देशों के प्रति गैर-बराबरी की एक स्याह हकीकत का पता चला कि कैसे विकसित देश अपने कूड़े का निस्तारण खुद न कर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को धता बताते हुए उसे गरीब और विकासशील देशों को निर्यात करते आए हैं।

गौरतलब है कि कनाडा और फिलिपींस दोनों ही खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रसार और निस्तारण नियंत्रण के लिए हुए 'बेसल समझौते' का हिस्सा हैं। कचरे के तथाकथित वैश्विक व्यापार का एक सिरा चीन की अचानक आर्थिक प्रगति से जुड़ता है, जब चीन नब्बे के दशक में उत्पादक देश बन कर उभर रहा था। चीन से हर किस्म का उत्पाद 'शिपिंग कंटेनरों' में भर कर अमेरिका और यूरोप भेजा जा रहा था। वापसी में खाली कंटेनरों में पश्चिमी देशों ने अपने घरेलू और अन्य कूड़े-कचरे को भर कर चीन भेजना शुरू किया। खाली लौटते कंटेनरों को भर कर वापस भेजना आर्थिक रूप से लाभदायी भी था। पश्चिम से आने वाले मुफ्त कूड़े को शुरू-शुरू में चीन ने संसाधन रूप में देखा और जितना पुनर्चक्रित कर सकता था, उससे नए उत्पाद बना लेता था। वहीं अमीर देशों के लिए स्थानीय कूड़े-कचरे के निस्तारण का यह एक सस्ता विकल्प मिल गया, इस तरह उनको अपने कूड़े से छुटकारा मिल जाता था। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि अमीर देशों में कचरा फैलाने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी। पश्चिमी देशों में नब्बे का दशक आते-आते प्लास्टिक की खपत बेतहाशा बढ़ गई, जिसे दक्षिण के गरीब विकासशील देशों की तरफ भेजा जाने लगा।

एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में एक टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है उससे आधे खर्च में, वहीं कचरा, खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिया जाता है। एक जर्मन आनलाइन पोर्टल के मुताबिक 2020 में एक टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च 85 डालर आता था, जो मात्र 35 डालर के भाड़े में गरीब देशों तक पहुंचा दिया जाता था। चीन के साथ-साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर और कम कठोर पर्यावरणीय नियम-कानून के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का हिस्सा बनने लगे। भारत और बांग्लादेश पुराने जहाजों के निस्तारण के लिए पसंदीदा जगह बने।



वर्ष 2018 तक चीन विश्व के कचरा निस्तारण या व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां अमेरिका और यूरोप से आने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए कुछ हद तक आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी थी। फिर भी इतनी भारी मात्रा में कचरे का निस्तारण, जिसमें अधिकांश एक बार

एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में एक टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है उससे आधे खर्च में, वहीं कचरा, खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिया जाता है। एक जर्मन आनलाइन पोर्टल के मुताबिक 2020 में एक टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च 85 डालर आता था, जो मात्र 35 डालर के भाड़े में गरीब देशों तक पहुंचा दिया जाता था। चीन के साथ-साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर और कम कठोर पर्यावरणीय नियम-कानून के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का हिस्सा बनने लगे।

इस्तेमाल किया जाने वाला प्लास्टिक होता है, जो पुनर्चक्रण के लायक भी नहीं होता, उससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने

दिखावे का रोग

चंदन कुमार चौधरी

जो ब खाली है, लेकिन समाज के लोग, रिश्ते-नातेदार क्या सोचेंगे, इसकी चिंता कुछ लोगों को सताए जा रही है। ऐसे लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि उनके यहां जो काम है, वह सामान्य तरीके से करें या समाज में लोगों की परवाह करते हुए दिखावा करते हुए करें। दिखावे के चक्कर में रुपया ज्यादा खर्च होगा और जो काम है, वह बहुत कम खर्च में हो जा सकता है। मगर क्या करें कि आज की तारीख में लोगों के लिए दिखावा ज्यादा जरूरी हो गया है। सामान्य तरीके से कोई काम कराने के बजाय जिसे देखो वही दिखावा करने में लगा हुआ है। दिखावे के इस शौक की सीमा आखिर कहाँ है? पड़ोस के घर में जब से एक सामाजिक काम होना तय हुआ था, तब से उस घर के लोगों से काम के कदम-कदम पूछे जा रहे थे। यह भी पूछा जा रहा था कि वह काम साधारण तरीके से किया जाएगा या शानो-शौकत के साथ। उस घर के व्यक्ति ने बताया कि काम साधारण तरीके से किया जाए, तो उसके बाद लोगों के हाव-भाव बदल गए और उनकी टीका-टिप्पणियों में अंतर आ गया। लोग बातने लगे कि आजकल तो साधारण से साधारण लोग भी 'अच्छे से' काम करते हैं, और आप तो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं। अगर आप ही ऐसे साधारण तरीके से करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या करेंगे! लोगों का विचार सुनने के बाद उस घर के लोगों के दिमाग में अपने खानदान और पूर्वजों की शान की याद उमड़ने-धुमड़ने लगी। उनके नाम के 'कीर्तिमान' याद आने लगे। उसके बाद आपस में यह बात हुई कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी मान-मर्यादा क्या रह जाएगी। पहले तो शानो-शौकत के बरक्स आज नौबत कर्ज लेने की थी, मगर घर के लोग इसके लिए तैयार हो गए। उन्हें समाज में रहने के लिए दिखावे का रास्ता अपनाना जरूरी लगा।

यह मामला एक उदाहरण भर है। आज की तारीख में हमारे इर्द-गिर्द इस तरह के हजारों लोग हैं, जो स्वच्छा से या मजबूरी में दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लंबे समय तक आसपास के लोगों की आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी। ऐसे में वे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। जबकि यह समझने की बात है कि दिखावा और उद्रेष्य की पूर्ति, वो अलग-अलग चीज है। हर किसी के घर में समय-समय पर कोई न कोई काम होता रहता है। लोगों की माली हालात जैसी भी हो, लेकिन ज्यादातर कामों पर दिखावा हावी होता है। हालांकि अगर हम अपनी जरूरत को समझें और सिर्फ काम पूरा करने उद्रेष्य की पूर्ति पर जोर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है।

जबकि यह समझने की बात है कि दिखावा और उद्रेष्य की पूर्ति, वो अलग-अलग चीज है। हर किसी के घर में समय-समय पर कोई न कोई काम होता रहता है। लोगों की माली हालात जैसी भी हो, लेकिन ज्यादातर कामों पर दिखावा हावी होता है। हालांकि अगर हम अपनी जरूरत को समझें और सिर्फ काम पूरा करने उद्रेष्य की पूर्ति पर जोर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है।

जबकि यह समझने की बात है कि दिखावा और उद्रेष्य की पूर्ति, वो अलग-अलग चीज है। हर किसी के घर में समय-समय पर कोई न कोई काम होता रहता है। लोगों की माली हालात जैसी भी हो, लेकिन ज्यादातर कामों पर दिखावा हावी होता है। हालांकि अगर हम अपनी जरूरत को समझें और सिर्फ काम पूरा करने उद्रेष्य की पूर्ति पर जोर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com |chaupal.jansatta@expressindia.com

चकाचौंध के समांतर

बो लचाल की भाषा में अक्सर लोगों को कहते सुना है कि 'गरीब होना सबसे बड़ा पाप और अपराध है'। हाल की एक खबर के मुताबिक, दुनिया का सबसे उन्नत और बलशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका में बेघरबार होने वालों को कानूनन 'अपराधी' घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के ओरेगान और व्योमिंग को छोड़कर लगभग हर राज्य में बेघर होना अवैध है। बड़ी संख्या में न्यायक्षेत्र नियमित रूप से और भेदभावपूर्ण तरीके से बेघर लोगों को उन अध्यादेशों के तहत लक्षित करते हैं, जो विशेष व्यवहारों को प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, फुटपाथ पर बाधा डालना, इधर-उधर घूमना, भीख मांगना, अतिक्रमण करना, डेरा डालना, घंटों तक किसी एक विशेष स्थान पर रहना, विशेष क्षेत्रों में बैठना या लेटना, सोना आदि। बेघर लोगों और भीख मांगने वाले अगर इतनी ही बड़ी समस्या हैं, तो सरकार उनके लिए घर क्यों नहीं बना देती? उनके लिए भोजन और रोजगार का व्यवस्था क्यों नहीं कर देती? दुनिया भर में जो देश हर साल करोड़ों डालर दान में दे देता है, वह अपने बेघर गरीब लोगों का तकलीफ को दूर नहीं कर सकता?

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जयशेदपुर

व्यक्तित्व की पहचान

शुद्धियत का ताल्लुक रूप से कतई नहीं है। व्यक्तित्व के निखार या गहन में रूप बहुत मददगार नहीं होता। इसीलिए ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरने के लिए परिभाषित तौर पर सुंदर नहीं, ताकतवर विचार और पंखों की जरूरत होती है। सारे इंसान अलग दिखते हैं, अलग होते हैं और यह विविधता उनकी पहचान है। कितने ही लोग अपनी पहचान पर नाज करते हैं। दूसरे केवल देखकर निर्णय लें और व्यक्ति इससे प्रभावित हो, यह आत्मविश्वास का

सहिष्णुता का सौंदर्य

भारतीय संस्कृति, संस्कृति की विकास की उस गाथा की साक्षी है जिसने मानव को विकास की एक अभूतपूर्व अवसर दिया, जिसने मानव को सर्व धर्म समभाव और सद्भाव के मूल्य दिए और न केवल उसे पुष्पित पल्लवित किया, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सिंचित किया, संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संकल्पना से परिचय कराया। समय के बुद्धिजीवियों द्वारा सहिष्णुता को सहानुभूति के

समाज के स्तंभ

व रिष्ट नागरिक एक औपचारिक शब्द है, जिसे आधुनिक होते जनमानस ने अपनी सुविधानुसार गढ़ा है। हमने अपने विकास की यात्रा का पिछला हिस्सा इन्हीं व्यक्तियों के मजबूत कंधों पर बैठकर तय किया है। भारतीयता अपने बुजुर्गों की नियमित देखभाल का संकल्प, अपने संस्कारों एवं संस्कृति से पाती है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ना था। समय-समय पर सरकार एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। मगर वे अभी तक नाकाफी सिद्ध हुए हैं। हमने हर कार्य को प्रवृत्तिवश नामे, मापने और बैठकर तय किया है, जिसके अच्छे या बुरे परिणाम का फैसला लाभ-हानि से तय होता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 'सम्मान' गुणवत्तापूर्ण जीवन की अनिवार्य शर्त है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

- जोगिंद्र भारद्वाज, दिल्ली

